



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-2023



महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-2023



महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश



श्री शिवराज सिंह चौहान

माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

सचिवालय

प्रमुख सचिव – श्रीमती दीपाली रस्तोगी

उप सचिव – श्री अजय कटेसरिया

संचालनालय महिला एवं बाल विकास

आयुक्त – डॉ. राम राव भोंसले

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

अध्यक्ष – श्रीमती अमिता चपरा

प्रबंध संचालक – श्रीमती स्वाति मीणा नायक

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग

अध्यक्ष – रिक्त

सदस्य सचिव – श्री शिवकुमार शर्मा

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

अध्यक्ष – श्री द्रविंद्र मोरे

सचिव – रिक्त

अनुक्रमणिका

सामान्य परिचय

• विभाग का परिचय	1
• विभाग के दायित्व	3
• विभागीय संरचना	5

किशोरी सशक्तिकरण

• मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना	11
• शौर्या दल	16
• उदिता योजना	19
• बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना	21

महिला सशक्तिकरण

• वन स्टॉप सेन्टर 'सखी'	27
• स्वाधार गृह (शक्ति सदन)	30
• जबाली योजना	31
• सेफ सिटी कार्यक्रम	32
• महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 'निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण' अधिनियम 2013 एवं नियम 2013	33
• महिला हेल्प लाईन 181	34
• मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड	35
• कामकाजी महिला वसति गृह योजना	36
• पालना योजना	37
• मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम	38
• मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग	41

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

• आँगनवाड़ी सेवाएं	47
• एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम	50
• पोषण आहार	53
• प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल	56
• आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण	57
• विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	59
• अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन	61
• पोषण अभियान	64
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	71

बाल संरक्षण

• समेकित बाल संरक्षण योजना	75
• जवाहर बाल भवन	81
• मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग	83

मूल्यांकन एवं निगरानी

सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार गतिविधियां	95
--	----

बजट

• बजट – एक समग्र विश्लेषण	107
• जेंडर बजटिंग	110
• चाईल्ड बजटिंग	111

सामान्य परिचय

विभाग का परिचय

महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। वर्ष 1988—1989 में इसे पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। विभाग प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिये कई योजनाएं, कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इनमें एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आंगनवाड़ी सेवाएं), पोषण अभियान, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेन्टर, बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ो अभियान, शौर्या दल, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, उदिता योजना, अटल बिहारी वाजपेयी बाल अरोग्य पोषण मिशन, मंगल दिवसों का आयोजन, सेफ सिटी कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु प्रदेश शासन द्वारा किए गये प्रयासों को भारत सरकार द्वारा सराहा और पुरस्कृत किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा इन प्रयासों को अपनाया भी गया है। इन प्रयासों से ही प्रदेश में भी मानव विकास सूचकांकों में सुधार दर्ज हो रहा है।

विभाग के दायित्व

- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें कुपोषण से बचाना ।
- विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के लिये प्रयास करना ।
- प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना ।
- महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ।
- महिलाओं की स्वायत्तता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए, उनकी स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय ।
- विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँच सके ।

विभागीय संरचना

शासन स्तर (मंत्रालय)

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव — 1



अतिरिक्त सचिव/उप सचिव — 1



अवर सचिव — 2



अनुभाग अधिकारी — 2



कार्यालयीन अमला

संचालनालय की संरचना

आयुक्त (आई.ए.एस.) — 1



अपर संचालक — 5



संयुक्त संचालक — 8



उप संचालक — 10



सहायक संचालक — 18



लेखाधिकारी — 3



कार्यालयीन अमला

संभाग से आँगनवाड़ी स्तर तक



बाल भवन एवं संस्थाएं



अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, मध्यप्रदेश



विभागीय जाँच

वर्ष 2022–2023 में (दिनांक 15 फरवरी 2023 तक की स्थिति में) संस्थित विभागीय जांच की जानकारी

शासन स्तर से संस्थित विभागीय जांच	संचालनालय स्तर से संस्थित विभागीय जांच		कुल प्रकरण
राजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
01	02	06	09

न्यायालयीन प्रकरण

न्यायालयीन प्रकरणों की वर्ष 2022– 2023 (अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक की स्थिति में) की जानकारी

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त कुल 262 न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी (OIC) नियुक्त किए गए हैं। (100 प्रतिशत उपलब्धि)
- कुल 198 न्यायालयीन प्रकरणों में शासन के पक्ष में प्रभारी अधिकारी के माध्यम से माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कराया गया है। (90 प्रतिशत उपलब्धि)
- 15 नवीन अवमानना प्रकरणों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किये गये। (100 प्रतिशत उपलब्धि)
- 29 अवमानना प्रकरणों में शासन के पक्ष में संपर्क अधिकारी के माध्यम से माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कराया गया है। (95 प्रतिशत उपलब्धि)



बालिका सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना

स्वावलम्बी बालिका – सशक्त समाज का आधार

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में लागू की गई है।

प्रदेश की बालिकाओं को मिलने वाले लाभ को स्थायी बनाने हेतु सरकार द्वारा “मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 लागू किया गया, जो प्रत्येक बालिका को मिलने वाली राशि की गारन्टी प्रदान करता है।

1. योजना के लिए पात्रता—

- पात्रता एवं शर्तें (सामान्य प्रकरणों के लिये)

1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
2. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
3. माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हों।
4. माता-पिता आयकर दाता न हों।
5. प्रथम प्रसव पर जन्मी बालिका को उसके माता/पिता द्वारा बिना परिवार नियोजन अपनाने की शर्त पर लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी।

2. योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन

1. जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरुष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
2. अनाथ बालिकायें या दत्तक पर गई बालिकाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।
3. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
4. जेल में बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
5. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे।
6. बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा।



3. योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. कोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
2. हितग्राही बालिका के पंजीयन क्रमांक, बालिका के नाम, जन्मतिथि, माता अथवा पिता के नाम से बालिका की जानकारी योजना की वेबसाइट ladlilaxmi.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

4. योजना का विस्तार

लाड़ली बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित हो सके, इस उद्देश्य से वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुये 08 मई 2022 को राज्य शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई है, जिसमें निम्न प्रावधान शामिल किए गए हैं:-

1. लाड़ली लक्ष्मी दिवस का उत्सव के रूप में राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष 02 मई को आयोजन।
2. ग्राम पंचायतों को जिला स्तर से लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित किया जाए।
3. लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रुपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दिए जाएं।
4. लाड़ली बालिकाओं को उच्च शिक्षा (स्नातक तक) का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाए।
5. लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की गतिविधियों के सुचारु क्रियान्वयन के लिए पोर्टल का निर्माण एवं उन्नयन किया जाए।

5. बालिका को मिलने वाले लाभ

- प्रकरण स्वीकृति उपरांत रुपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदाय दिया जायेगा।

- योजना के पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रुपये 2000/-, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रु. 4000/-, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रुपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रु. 6000/- ई-पेंमेंट के माध्यम से किया जाता है।
- लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रुपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दिए जाएंगे।
- राशि रुपये एक लाख का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात् हुआ हो।

6. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक कागजात की जानकारी

1. जन्म प्रमाण-पत्र।
2. मूल निवास प्रमाण-पत्र। (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पहचान, यदि कोई हो, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र)
3. आंगनवाड़ी केन्द्र में रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर पर्यवेक्षक/आंगनवाड़ी केन्द्र के प्रभारी का सत्यापन प्रमाण पत्र।
4. बालिका का अभिभावक के साथ फोटो।
5. अभिभावक का आयकर दाता न होने का स्व-घोषणा पत्र।
6. द्वितीय प्रसव पर जन्मी बालिका की स्थिति में माता/पिता का परिवार नियोजन अपनाएँ जाने संबंधी प्रमाण-पत्र।
7. बालिका की समग्र आई.डी. की छायाप्रति

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के रूप में योजना में हुए परिवर्तन अनुसार मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के संशोधित अधिनियम 2022 राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

7. प्रदेश में दिनांक 02 मई 2022 से 11 मई 2022 तक लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं

- राज्य में प्रथम बार युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने 177 लाड़ली बालिकाओं को माँ तुझे प्रमाण कार्यक्रम अंतर्गत खेल एवं युवक कल्याण विभाग के सहयोग से दिनांक 02 मई 2022 को हुसैनीवाला वाघा बार्डर पंजाब भ्रमण कार्यक्रम पर भेजा गया।
- माननीय मुख्यमंत्रीजी के मुख्य आतिथ्य में वृहत् स्तर पर राज्य स्तरीय लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन दिनांक 08 मई 2022 को किया गया, जिसमें प्रदेश भर की लाखों बालिकाएँ एवं उनके अभिभावक ऑनलाईन सम्मिलित हुए।
- समस्त जिलों में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव अंतर्गत दिनांक 02 मई से 11 मई 2022 तक विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
- लाड़ली ई-संवाद एप का शुभारम्भ दिनांक 08 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के ब्रोशर का विमोचन दिनांक 08 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया।

- लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत ग्राम को लाड़ली फ़ंडली बनाने हेतु निर्देश जारी किए गए।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत ग्राम/परियोजना स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी क्लब गठन करने हेतु निर्देश जारी किए गए।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना पोर्टल 2.0 का नवीनीकरण किया गया।

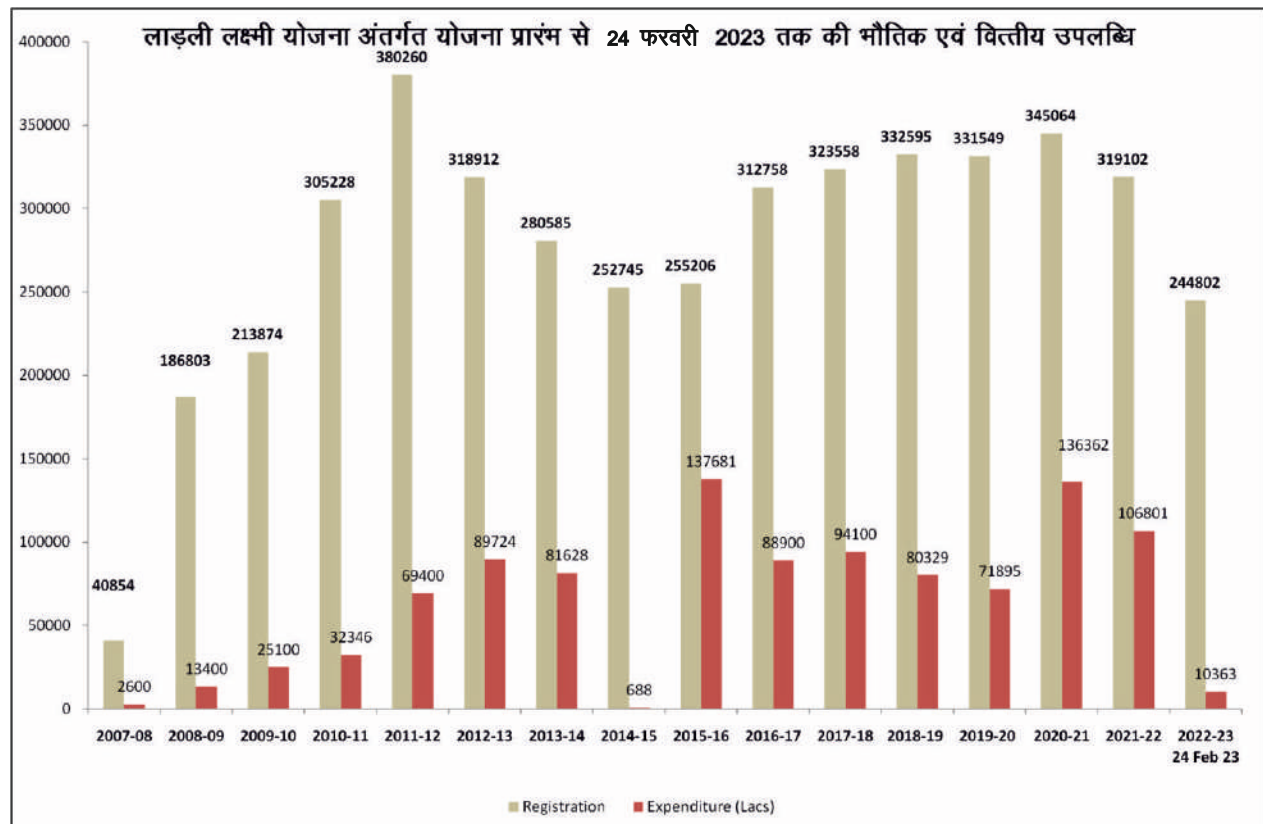
8. बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण

- मध्यप्रदेश स्थापना दिवस'' समारोह के साप्ताहिक कार्यक्रम में दिनांक 02.11.2022 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम रवीन्द्र भवन भोपाल में माननीय मुख्यमंत्रीजी के मुख्य आतिथ्य में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत कॉलेज में प्रवेश लेने वाली 1477 लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि रूपए 12500/- की प्रथम किश्त के रूप में कुल राशि रूपए 1.85 करोड़ प्रदान किए गए।
- दिनांक 02 नवम्बर 2022 को प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक मुख्य मार्ग "लाड़ली लक्ष्मी पथ" के नाम से लोकार्पित किया गया।
- दिनांक 02 नवम्बर 2022 को प्रत्येक जिले में "लाड़ली लक्ष्मी वाटिका" का लोकार्पण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया।



उपलब्धियां

प्रदेश में अब तक 44.43 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की बढ़ती हुई संख्या एवं उनकी उत्तरोत्तर शैक्षणिक प्रगति को देखते हुये योजना अपने उद्देश्य "स्वावलंबी बालिका – सशक्त समाज का आधार" की पूर्ति करने में सफल हो रही है।



बिखरते परिवार का सहारा बनी दीप्ति

मंदसौर जिले के ग्राम रलायता आँगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 की लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत बालिका दीप्ति इन दिनों अपने घर की दीप्ति बनी हुई है। स्वयं पढ़ने के साथ वे अपने भाई को भी उच्च शिक्षा देकर योग्य बनाना चाहती हैं।

दीप्ति उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के आर्ट्स विषय की कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा हैं। पिछले वर्ष कोविड के दौरान पिता की मृत्यु हो गई तो महिला बाल विकास विभाग एवं एक ट्रस्ट ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन यह तो दीप्ति के संघर्ष की शुरुआत थी, माँ गांव के रीति-रिवाजों के चलते 1 वर्ष तक घर से बाहर नहीं गई तो घर की आर्थिक परिस्थितियां डगमगाने लगी। पर लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति के चलते दीप्ति की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आई। इससे दीप्ति का हौसला बना रहा।

अपनी पढ़ाई के साथ घर की आर्थिक परिस्थिति को बेहतर करने के लिए दीप्ति ने मैक्रोन की डोरी से झूमर बनाना सीखा। सोशल मीडिया पर झूमर शेयर किया, तो झूमर बनाने का ऑर्डर दीप्ति को मिलने लगे। धीरे-धीरे दीप्ति के झूमर की मांग बढ़ रही है। पिता की मौत के बाद दीप्ति ने अपने बिखरते परिवार को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हैं।



सफलता की कहानी

हर बच्चे कि इच्छा होती है कि पढ़ने की उम्र में वह पढ़ाई करे और तनावमुक्त जीवन जिएं। पढ़ने और खेलने की उम्र में मंदसौर जिले के रलायता गांव के आँगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-2 की लाडली दीप्ति के जीवन में तब बिस्मय आया, जब कोरोना काल में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। घर में मजदूर माँ और एक छोटा भाई है। उस समय परिवार की ताकत बनकर उठ खड़ी हुई उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर की कक्षा 11 वीं में पढ़ने वाली दीप्ति। वह अपने कौशल के बल पर घर का खर्च चला रही है।

जब हमने दीप्ति से बात की तो उसने अपनी संघर्ष यात्रा बताई, जिसे सुनकर हम सन्नद्ध रह गये। दीप्ति ने बताया कि मेरे पिता खेतिहर का काम करते थे, माँ मजदूरी करती थी। मेरा

आईएस बनकर प्रदेश की लाडली बनना चाहती है दीप्ति

पढ़ने का बहुत मन था, पिता ने कहा जो भी हो तुझे पढ़ाऊंगा। तभी 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना में मुझे लाडली बेंटी चुन लिया गया। मेरी पढ़ाई की व्यवस्था हो गयी। जब मैं 6वीं में पहुँची तो मुझे 2000 रुपए, 9वीं में गयी तो 4000 रुपए, अगरी ग्यारहवीं में आई तो 6000 रुपए मिले और आगे 12वीं में जाने पर 6000 रुपए और मिलेंगे। वह सारे पैसे मेरे खर्चे में सीधे ट्रांसफर किये जाते हैं। लाडली के इन पैसे से पढ़ाई और अन्य खर्चों में काफी मदद मिली। इससे मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही थी।

मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। हमारे बड़े पायाजी की बेटा यूपीएससी की परीक्षा दे रही थी तो मेरे मन में आया कि मैं भी तो यह परीक्षा दे सकती हूँ। मैंने विचार से इसके बारे में जाना और जब उनकी पढ़ाई हो गयी तो वो कितने

मैंने उनसे मानी, उन्होंने दे भी दी। अब जब भी समय मिलता है, मैं उन्हें पढ़ती हूँ। मेरे पिता जी ने हमेशा मेरा हाँसला बढ़ाया वो बोले तुझे पढ़ाई के पैसे तो लाडली बनने से मिल ही जाते हैं। तू आगे अपना यूपीएससी देना का सपना पूरा करना। जब 21 साल की हो जाएगी तो लाडली को एक लाख रुपए और मिल जायेंगे, इससे हम तेरी कॉपींग लगवा देंगे। इसी बीच हमारे घर में बिपत्ति आ गयी, मेरे पिता की कोरोना से मृत्यु हो गयी। अकेले माँ की मजदूरी से घर चलाना मुश्किल था। मैं सोच रही थी कहां तो क्या करूँ। तभी यू-ट्यूब पर मैंने देखा कि मैक्रोन की डोरी से झूमर बनाया जाता है। मैंने भी सहज ही वैसा ही झूमर बनाने की कोशिश की। एक दो बार कोशिश करने पर वह मुझसे बन गया। मेरे बनए झूमर की नीमच में अच्छी बिक्री



होने लगी। इससे जो लाभ होता उससे मेरे घर का खर्च निस्कल जाता था। मुझे खेपट भाई को भी पढ़ाना है, मैंने अपना काम बढ़ाया। मैं पर पर मिलाई भी करने लगी। कुल मिलाकर अब मैं दुलन काम लेती हूँ कि हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। जब हमने पूछा कि अभी तल तो मैं संस्कार ने लाडली लक्ष्मी क

कॉलेज पहुँचने पर 25 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है, वगैर आएको पना है? दीप्ति हमसे हुए बोली कि मैं लाडली हूँ अपने बारे में पता कैसे नहीं होगा। आपको कैसा लगा पढ़ने पर बोली कि अब कॉलेज के खर्चों की चिंता भी खत्म हो गयी, अब मेरा सपना जरूर पूरा हो जायेगा कैसा सपना, जब यह

पूछ तो एक टुक देखते हुए बोली यह मेरा और मेरे पापा दोनों का सपना है कि मैं आईएस बनूँ। यूपीएससी की परीक्षा तो काफी कठिन है दीप्ति से सरासरी किछ तै करार कि कठिन काम ही तो भविष्य को आसान बनाते हैं। जब मैं आठवीं में थी तो उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए परीक्षा दी, सबसे कड़ा बहुत कठिन है। मैंने खुद पढ़ाई की और मैं परीक्षा में पास हो गयी। मेहनत की तापी तो उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश मिली। अपने स्कूल की अच्छी पढ़ाई यानि अच्छे स्तर की पढ़ाई से ही मुझमें आत्मविश्वास आया है... मुझे भरोसा है अपने आप पर... कर लूँगी। मेरे पिता का आशीर्वाद है, माँ की उम्मीद है... मैं डेढ़ कर लूँगी यूपीएससी। कुछ स्वकार बोली कि मेरे पास जो कितने रक़ी हैं उससे मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है।

शौर्यादल

भारत के संविधान में महिला व पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन ना हो इस हेतु कानून भी बनाये गये हैं। प्रत्येक नागरिक चाहे वह महिला हो या पुरुष अपने संपूर्ण अधिकारों का उपयोग करते हुए सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब उसे अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान हों और वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हों।

निर्भया घटना के पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2013 में शौर्या दलों का गठन किया गया। शौर्या दलों के गठन का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त करना और अपराध घटित होने से पूर्व ही उसे रोकना था। शौर्या दल में 5 महिलाएं एवं 5 पुरुष कुल 10 सदस्य थे

जिनका कार्य समाज में महिलाओं व बालिकाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण, योजनाओं का प्रचार-प्रसार, अपराधों की जानकारी, समझाईश आदि था। शौर्या दलों का गठन प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के छः जिलों से किया गया। इन छः जिलों में शौर्या दलों द्वारा घरेलू हिंसा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ट्रेफिकिंग आदि में प्रशंसनीय कार्य किया, जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा वर्ष नवम्बर 2016 से प्रदेश के 51 जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया गया।

समस्त किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एक दल में संगठित कर महिला शक्ति को विस्तार देने के उद्देश्य से सितम्बर 2020 में शौर्या दल को नवीन स्वरूप में



परिवर्तित कर प्रदेश के समस्त 52 जिलों के ग्राम/वार्ड/आंगनवाड़ी स्तर पर शौर्यादल का गठन किया गया है।

उद्देश्य

- आदिवासी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना, जहां वे स्वयं के आस्तित्व व विकास की सोच को सुदृढ़ कर सकें।
- महिलाएं व किशोरी बालिकाएं अपने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों एवं इनका उपयोग करने में सक्षम हों।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आदि के क्षेत्र में महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं अपनी समान पहुँच बना सकें।
- महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं द्वारा

महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच, कुप्रथाओं, भेदभावों में परिवर्तन लाना।

- महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के मुद्दों को समाज के समक्ष दृढ़ता से प्रस्तुत करना।
- सामाजिक विकास में महिलाओं व किशोरी बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा।
- महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।

गठन एवं स्वरूप

1. प्रत्येक ग्राम/वार्ड/आंगनवाड़ी क्षेत्र पर शौर्यादल का गठन किया जाता है। जिसमें ग्राम/वार्ड/आंगनवाड़ी क्षेत्र की समस्त इच्छुक 15 से 45 वर्ष आयु की बालिका/महिलाएं सदस्य होती है।



2. शौर्यादल के सदस्यों में से एक प्रबंधन समिति एवं 4 विशेष कार्य समितियां होती हैं।

3. 04 विशेष कार्य समितियां इस प्रकार हैं—

1. बेटों बचाओ बेटों पढ़ाओ (बालिका शिक्षा)
2. स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता
3. आर्थिक सशक्तिकरण
4. कुप्रथा एवं महिला हिंसा रोकथाम

इनके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य समितियां बनाई जा सकेंगी।

शौर्यादल के सामान्य कार्य

1. महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों से संबंधित कार्यों, शासकीय योजनाओं की जानकारी देना।
2. आंगनवाड़ी केंद्र में दी जा रही सेवाओं में सहयोग करना।
3. महिला व बालिकाओं से संबंधित मुद्दे, जैसे बाल विवाह, दहेज—प्रथा, घरेलू हिंसा, लिंग आधारित भेदभाव, आदि पर ग्रामवासियों को जागरूक करना।
4. कुप्रथा व अपराध से प्रभावित महिला व किशोरी बालिका को सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना।
5. सभी शाला त्यागी व शाला अप्रवेशी बालिकाओं को शाला में प्रवेश कराना।
6. शाला जाने की उम्र पार कर चुकी बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर्यवेक्षक को सूची उपलब्ध कराना।
7. अशिक्षित महिलाओं के लिए साक्षरता कक्षाएं चलाने पर्यवेक्षक को जानकारी देना।
8. ग्राम/वार्ड की महिलाओं को बैंक के कार्य, विभिन्न शासकीय विभागों, अस्पताल, पुलिस स्टेशन पर एफआईआर लिखना, आदि कार्यों की जानकारी देना।
9. महिलाओं को उनकी क्षमता व योग्यता के अनुसार छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करने प्रोत्साहित करना तथा संबंधित विभाग की जानकारी देना।

10. किचन गार्डन अनाज बैंक, जैसी समाजोपयोगी योजनाएं बनाना।

11. एनीमिया, कुपोषण पर जागरूकता फैलाना व ऐसे प्रकरणों को ए.एन.एम को बताना।

12. प्रत्येक माह दो बार बैठक आयोजित कर अपने ग्राम की महिलाओं बालिकाओं व बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता पर चर्चा करना।

13. बैठकों में ग्राम/व्यक्तिगत समस्या पर मिल बैठकर विचार विमर्श करना तथा समस्या को हल करने प्रयास करना।

14. ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भाग लेना।

15. वन स्टॉप सेंटर का भ्रमण व समन्वय करना।

16. ग्राम की शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, प्रति वर्ष जन्म ले रही बालिका व बालक की संख्या, सभी प्रसव अस्पताल में होना, टीकाकरण समय पर व पूर्ण हो इसकी निगरानी रखना।

17. ग्राम की प्रत्येक पात्र महिला व बालिका को शासन की योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी रखना।

18. महिला बाल विकास के द्वारा चलाए जाने वाले सभी अभियानों, कार्यक्रमों सम्मेलनों में सहयोग करना।

19. लाडली लक्ष्मी योजना की सभी पात्र हितग्राहियों को स्कॉलरशिप मिले यह सुनिश्चित करना।

शौर्यादल का गठन

शौर्यादल का गठन प्रत्येक ग्राम/वार्ड/ आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्तमान में 19.24 लाख बालिका/महिला शौर्यादल सदस्य है, जिसमें से किशोरी बालिका सदस्य 7.95 लाख एवं महिला सदस्य 11.29 लाख है।

शौर्यादल परेड

26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शौर्यादल सदस्यों की टुकड़ी को परेड में सम्मिलित किया गया। जिसमें जिला— टीकमगढ़ को प्रथम, खण्डवा, सिवनी को द्वितीय एवं राजगढ़, शिवपुरी को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। अन्य जिलों का प्रदर्शन भी उत्कृष्ट रहा है।

उदिता योजना

किशोरी बालिकाओं में माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधित व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में 11 से 18 आयुवर्ग की किशोरी बालिकाओं एवं 19 से 45 आयुवर्ग की महिलाओं के लिये वर्ष 2015—16 से प्रदेश में उदिता योजना चलाई जा रही है। माहवारी स्वास्थ्य तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाने, अच्छी गुणवत्ता वाले सैनेटरी नैपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करने, ग्रामीण स्तर पर सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता एवं बालिकाओं तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने एवं किशोरियों में एनीमिया एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु उदिता योजना को लागू किया गया है। योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्थापित उदिता कॉर्नर के माध्यम से किशोरियों एवं महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन सशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

योजना के उद्देश्य

- किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में माहवारी स्वच्छता तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता पैदा करना।
- माहवारी चक्र के बारे में किशोरियों में जागरूकता बढ़ाना।
- विषय से जुड़े हुए प्रश्नों एवं भ्रांतियों का समाधान करना।
- किशोरियों को अच्छी गुणवत्ता वाले सैनेटरी नैपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण स्तर पर सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता एवं किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना।



- उपयोग में लाए गए सैनेटरी नैपकिन का पर्यावरण की दृष्टि से उचित एवं सुरक्षित ढंग से निपटान करने की सुविधा सुनिश्चित करना।
- किशोरियों में एनीमिया एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना।

वर्ष 2022-23 में आयोजित गतिविधियां

सहभागिता संवाद कार्यक्रम 28 मई अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस पर किशोरी बालिकाओं हेतु माहवारी स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंधन, एवं जागरूकता हेतु ऑनलाईन सहभागिता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 5000 किशोरी बालिकाये सम्मिलित हुई।

माहवारी स्वच्छता दिवस पर जिला एवं परियोजना स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसके प्रथम भाग में किशोरियों एवं महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

हेतु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन एवं कार्यक्रम के दूसरे भाग में किशोरियों एवं महिलाओं के लिये प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम किये गये।

NFHS-5 (2019-2021) के अनुसार प्रदेश के 09 जिलों सीहोर, गुना, डिण्डोरी, रीवा, सीधी, दमोह, पन्ना, उमरिया एवं अलीराजपुर में माहवारी स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंधन एवं जागरूकता में प्रगति 50 प्रतिशत से कम है। अतः इन जिलों में आदिवासी/ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरी बालिकाओं हेतु माहवारी स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंधन, एवं जागरूकता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यक्रम किये गये।

जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मेला एवं प्रदर्शनी के माध्यम से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं जागरूकता हेतु पोस्टर, पठनीय सामग्री, संवाद कार्यक्रम एवं कपड़े के रियूजबल सैनेटरी नैपकिन बनाने एवं सैनेटरी नैपकिन का सुरक्षित निस्तारण किये जाने की जानकारी दी गई।



बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

घटता शिशु लिंगानुपात वर्तमान में सम्पूर्ण देश के लिये गहन चिंता का विषय है। यदि शिशु लिंगानुपात में यह गिरावट इसी प्रकार बनी रही तो भविष्य में जेंडर असंतुलन की विषम स्थिति से समाज का घोर नैतिक पतन होगा तथा भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। समस्या की गंभीरता को देखते हुये भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं की देखदेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरम्भ की गई, जिसमें वर्ष 2015-16 प्रदेश के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले छः जिलों व 2018-2019 से 36 जिलों एवं वर्ष 2022-2023 में 10 जिलों में बेटी बचाओ बेटी-पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाना एवं उनको शिक्षित करना है।

वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति उपयोजना संबल अंतर्गत योजना की नवीन गाइडलाइन जारी की गई है। योजना की नवीन वित्त व्यवस्था अनुसार वर्ष 2020-2021 के आधार पर जिन जिलों का SRB 918 से कम अथवा बराबर है, उन जिलों को रुपये 40 लाख एवं जिन जिलों का SRB 918 से 952 के बीच अथवा 952 के बराबर है, उन जिलों को रुपये 30 लाख तथा जिन जिलों का SRB 952 से अधिक है उन जिलों को रुपये 20 लाख का आवंटन, SNA/IAS (PFMS) खाते के माध्यम से प्रदाय किया जावेगा।

वर्ष 2015 में योजना तीन विभागों क्रमशः महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के समन्वय से त्रि-मंत्रालयी प्रयास के रूप में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2022 में बेटियों को कुशल बनाने एवं कार्यस्थल में बालिकाओं/महिलाओं की



सार्थक एवं समान भागीदारी के उद्देश्य से गतिविधियों को प्रारंभ किये जाने के लिये व बालिकाओं को उच्च शिक्षा/कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने हेतु भागीदारी के रूप में कौशल विकास, उद्यमिता विकास एवं अल्पसंख्यक कार्य विभाग को भी जोड़ा गया है। बालिकाओं की खेल के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने व बालिकाओं की खेल प्रतिभा की पहचान एवं उन्हें खेलो इंडिया अंतर्गत अथवा केन्द्र/राज्य के अन्य योजना/कार्यक्रम से जोड़ने के लिये उपर्युक्त कार्यक्रम विकसित किये जायेंगे।

योजना के घटक का लक्ष्य जमीनी स्तर वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, जैसे बालिकाओं के बीच खेल को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, बालिकाओं के शौचालय का निर्माण, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थान, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट आदि के बारे में जागरूकता आदि।

योजना के उद्देश्य

- सामाजिक लिंग (जेंडर) आधारित लिंग चयन को समाप्त करना।
- बालिका की उत्तरजीविता तथा संरक्षण सुनिश्चित करना।
- बालिका की शिक्षा एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।
- जेंडर आधारित भेदभाव की मिटाना।

गतिविधियां

1. जिलों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार गतिविधियों का आयोजन।
2. अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजन।
3. राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजन।
4. अंतराष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन।

उपलब्धियां

1. नवजात बालिकाओं का स्वागत – योजनांतर्गत 46,198 नवजात बालिकाओं का स्वागत किया गया।
2. बेटियों का पूजन— सभी शासकीय विभागों में

कार्य प्रारंभ से पूर्व 1,82,617 बेटियों का पूजन किया गया।

3. प्रदेश में चयनित कम लिंगानुपात वाली ग्राम/पंचायतों में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार/दृष्टिकोण परिवर्तन हेतु 3029 जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
4. **संवेदीकरण कार्यक्रम—** पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रभावी क्रियाव्ययन एवं जिलों में 214 संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
5. **बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता शिविर —** बाल विवाह की रोकथाम हेतु 1293 जागरूकता शिविर आयोजित किये गए।
6. **सशक्त वाहिनी कार्यक्रम—** पुलिस/शासकीय विभागों में महिलाओं की भर्ती बढ़ाने हेतु बालिकाओं में आत्मविश्वास के लिए विभाग द्वारा सशक्त वाहिनी अभियान चलाया जा रहा एवं कार्यक्रम अंतर्गत 1780 बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
7. **पिंक ड्राइविंग लाइसेंस—** महिलाओं/बालिकाओं को त्वरित एवं सुविधा जनक रूप वाहन चालन हेतु ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो सके इस हेतु परिवहन विभाग से समन्वय कर महिला एवं बाल विकास द्वारा पिंक ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन जिलों में किया जा रहा है तथा कार्यक्रम अंतर्गत 164 शिविरों का आयोजन कर 4161 बालिकाओं को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किये गए।
8. **जेंडर चैम्पियंस—** समाज बेटियों को सम्मान/सशक्त बनाने एवं उनके समग्र विकास हेतु आगे बढ़ाने तथा समाज की अन्य बालिका/महिला के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाने के उद्देश्य से जिलों में 537 जेंडर चैम्पियंस का चयन किया गया।
9. राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर दिनांक 18 से 24 जनवरी 2023 तक सभी जिलों में भारत सरकार के निर्देशानुसार गतिविधियां आयोजित कर राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया गया। 24 जनवरी 2023 को राज्य स्तर पर लाइली संवाद का आयोजन एवं वृक्षारोपण किया गया।

10. प्रचार-प्रसार, जागरुकता के लिये प्रचार स्थों का संचालन किया गया।
11. जिलों द्वारा योजना पर केन्द्रित स्टीकर तैयार कर उसको प्रमुख स्थानों, सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर प्रदर्शित किया गया।
12. जिला, परियोजना, आंगनवाड़ी स्तर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
13. बालिकाओं के लिये कैरियर काउंसलिंग एवं सशक्त वाहिनी कार्यक्रम पुलिस में भर्ती हेतु प्रशिक्षण आयोजित हुए।



रथ संचलन



शपथ ग्रहण



रंगोली प्रतियोगिता



महिला सशक्तिकरण

वन स्टॉप सेंटर योजना

योजना अंतर्गत समस्त प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता जैसे-पुलिस-सहायता, विधिक-सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा-सहायता एवं काउन्सलिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति-संबल अंतर्गत शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त है।

लक्षित समूह

वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और वैवाहिक स्थिति से अपरोक्ष हिंसा प्रभावित सभी महिलाओं/बालिकाओं की सहायता की जाती है। दीर्घ अवधि तक आश्रय की आवश्यकता की स्थिति में महिला को विभाग द्वारा संचालित स्वाधार गृह में भेजा जाता है।

सहायता

वन स्टॉप सेंटर योजना अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को निम्न सेवायें प्रदाय की जाती हैं :-

- आपातकालीन स्थिति में महिला को त्वरित रूप से संबल प्रदाय कर उसका असुरक्षित स्थिति से बचाव करना।
- आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकीय सहायता प्रदाय करना।
- प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने एवं परिस्थिति के अनुरूप पुलिस सहायता प्रदाय करवाने में सहायता।
- विधिक सहायता एवं परामर्श प्रदाय करना।
- सामाजिक एवं मानसिक दृढ़ता हेतु काउंसलिंग करना।
- अस्थायी आश्रय (5 दिन) प्रदान करना।



वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रगति

- वन स्टॉप सेन्टर में 18,247 महिलाओं/बालिकाओं को पंजीकृत कर सहायता प्रदान की गई है।
- प्रदेश के 52 जिलों में अब 57 वन स्टॉप सेन्टर स्वीकृत हैं। भारत सरकार द्वारा 5 अतिरिक्त वन स्टॉप सेन्टर भोपाल, बालाघाट, इन्दौर, उज्जैन, रतलाम में स्वीकृत किये गये हैं।
- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 56 वन स्टॉप सेन्टर भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में 45 भवन पूर्ण हो चुके हैं। जिले में स्थापित वन स्टॉप सेन्टर के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा 48.00 लाख प्रति केन्द्र के मान से बजट प्रदाय किया जाता है।

प्रदेश अंतर्गत स्वीकृत वन स्टॉप सेंटर/पंजीकृत महिलायें एवं बजट

वन स्टॉप सेन्टर एक संवेदनशील योजना है जिसमें पीडित महिलाओं को सेवा प्रदान की जाती है। वन स्टॉप सेन्टर में कार्यरत कर्मचारियों की गुणवत्ता में सतत सुधार हेतु प्रशिक्षण, वेबिनार के माध्यम से विभाग द्वारा आयोजित किये गये। इसमें महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, वन स्टॉप सेन्टर के मानक प्रचलन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। दिनांक 12 से 14 सितम्बर, 2022 तक UNFPA के सहयोग से सभी वन स्टॉप सेन्टर के प्रशासकों, काउंसलर्स का दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण किया गया है।



सोशल मीडिया पर दोस्ती से परेशानी

सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती परेशानी का सबब बन जायेगी ये उस युवती ने सोचा भी नहीं होगा। हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल की एक युवती ने सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर ली जो अपने को इंदौर मध्यप्रदेश का निवासी होना बताता था। बातचीत बढ़ने पर एक दिन वह युवती अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने सोशल मीडिया फ्रेंड से मिलने इंदौर पहुंच गई। लेकिन उसका सोशल मीडिया वाला अनजान दोस्त उसको मिलने नहीं आया। कुछ दिनों तक वह उसे ढूँढने के लिये भटकती रही, लेकिन सोशल मीडिया वाला अनजान दोस्त उसे नहीं मिला। कुछ दिनों में उसके पैसे भी खत्म हो गए।

परेशान हाल में वह महिला थाना पहुंची और मदद मांगी। महिला थाना द्वारा तत्काल कार्यवाही कर युवती और उसकी पुत्री को वन स्टॉप सेंटर पर आश्रय हेतु लाया गया। वन स्टॉप सेंटर पर युवती की काफी

काउंसलिंग की गई। युवती ने अपनी पूरी कहानी बताई जिससे मालूम हुआ कि वह कूच बिहार, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। वन स्टॉप सेंटर के द्वारा वहां के महिला बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन के माध्यम से युवती के परिवारजनों से संपर्क किया गया। युवती के परिवारजनों द्वारा जानकारी दी गई कि वह बहुत गरीब हैं, इसलिये वो इंदौर नहीं आ सकते हैं।

युवती को उसके घर पहुंचाना जरूरी था। वन स्टॉप सेंटर द्वारा ए.डी.एम. से आदेश प्राप्त कर युवती और उसकी पुत्री को महिला आरक्षक और सुरक्षा गार्ड के साथ कूच बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। कूच बिहार पहुंचकर युवती, उसकी पुत्री को कूचबिहार जिला प्रशासन और रेलवे थाना के समक्ष परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस प्रकार वन स्टॉप सेंटर के प्रयासों से एक भटकी हुई युवती सकुशल अपने घर पहुंची।

खुशियों की दास्ताँ: वन स्टॉप सेंटर के द्वारा भटकी हुई बालिका को सही राह दिखाया

यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अन्य लोगों के बहकावे में आकर घर से भटक गई

मुरैना। आदिवासी महिला श्रीमती मीना आदिवासी (काल्पनिक नाम) जो 19 वर्ष की, एकगरीब महिला है, जिसकी ना समझी में ही दो बार शादी कर दी गई। पहले पति ने तुकराया तो दूसरा पति भी उससे शादीको निभा नहीं पाया। वह एक सच्चे साथी की तलाश में थी और उसकी पहचान फेसबुक के जरिये एक लड़के रमेश (काल्पनिक नाम) से हुई, रमेश मुरैना का निवासी था, रमेश ने उसे पूरी तरह से अपनी बातों में पसा लिया और तब वह रमेश के कहने पर अपने घर परिवार को छोड़ कर श्योपुर से ग्वालियर के लिए बस द्वारा निकल पड़ी। ग्वालियर आकर उसने रमेश को फोन लगाया तो उसने बोला कि मैं एक घण्टे से लेने आ जाऊंगा लेकिन वह नहीं आया, तब मीनामुरैना के लिये बस में बैठी और रमेश को रास्ते भर फोन लगाती रही पर रमेश का फोन बंद आता रहा। मीना परेशानहोकर बीच रास्ते बागीर में उतर गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी तभी वहाँ बागीर पुलिस आई और उन्होंनेमीना से पूछा कि तुम क्यों रो रही



हो तब मीना ने सारी बात पुलिस को बताई जिसके बाद पुलिस द्वारा रमेश से संपर्क करने का कई बार प्रयास किया, रमेश से कोई संपर्क ना होने पर पुलिस द्वारा मीना को वन स्टॉप सेंटर मुरैना परअस्थाई आश्रय एवं परामर्श हेतु लाया गया, वन स्टॉप सेंटर मुरैना प्रशासक नेमीना से बात की तब मीना के द्वारा आपबीती बताई, लेकिन मीना अपने घरवापस जाने को तैयार नहीं थी उसकी कई बार काउंसलिंग कि जिसमें उसेसमझाया गया कि यदि किसी गलत व्यक्ति के साथ मे आ जाती तो

तुम्हारेसाथ कुछ भी घटना हो सकती थी, परिवार से सुरक्षित स्थान कोई नहींहोता है परिवार हमेशा बच्चों के हित में सोचता है अगर रमेश तुम्हारे साथरहना चाहता तो वह फोन बंद नहीं करता और तुम से संपर्क करने कीकोशिश करता, मीना को पूरी बात समझमें आई, अतः उसने अपने घर मायके का पता बताया। तदोपरंतु श्रीमती अपूर्वा चौधरी के द्वारा शिवपुरी वन स्टॉप सेंटर से सम्पर्क किया गया, वहाँ से पता चला किवह लड़की शिवपुरी की नहीं है, पुनः संपर्क करने

पर पता चला कि मीना श्योपुर जिला की है, तब प्रशासक मुरैना द्वारावन स्टॉप सेंटर श्योपुर से ऑननवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से मीना के घर का पता करने को कहा गया। मीनातहसील करहल के एक गाँव गोरस की निवासी थी वन स्टॉप सेंटर ने उसके परिवार से बात कर संतुष्ट होने परउसके भाई को वन स्टॉप सेंटर मुरैना पर बुलाया एवं मीना आदिवासी को उसकी मर्जी अनुसार उसके भाई को सुपुर्दकिया गया। मीना खुशी खुशी अपने भाई के साथ अपने घर चली गई। इस प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह अम्ब के मार्गदर्शनमें संचालित वन स्टॉप सेंटर मुरैना ने बालिका को सही राह दिखाई वन स्टॉप सेंटर, प्रशासक श्रीमती अपूर्वा चौधरी वसुमस्त स्टाफ के द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिये 24 घंटे निरंतर कार्य कर रहा है, हिंसा से पीड़ितभटकी हुई महिलाओं को उचित मार्ग दिखाया जा रहा है।

स्वाधार गृह योजना (शक्ति सदन)

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास के पूर्व में संचालित स्वाधारगृह योजना, मिशन शक्ति अंतर्गत (सामर्थ्य) में नवीन योजना “शक्ति सदन” के नाम से 14 जुलाई 2022 से लागू की गई है।

उद्देश्य

स्वाधार गृह योजनान्तर्गत कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं को आश्रय पोषण, वस्त्र स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाएँ, उपलब्ध कराते हुए उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार महिला बाल विकास के सहयोग से संचालित की जा रही है।

इस योजना में निराश्रित, कल्याणी, जेल से छूटी हुई

महिला, कैदी प्राकृतिक विपदाओं, से निराश्रित हुई महिलाएँ अनैतिक व्यापार में संलग्न महिलाएँ, हिंसा से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएँ आदि आश्रयगृह में आवास सुविधा सहित पोषण एवं पुर्नवास का लाभ पाती हैं। वर्तमान में प्रदेश के 13 जिलों में 15 स्वाधारगृह संचालित है।

जिसमें में 200 से अधिक महिलायें व लगभग 50 बच्चे निवासरत है। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिस पर होने वाले व्यय का केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में भार वहन किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिये जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से संपर्क किया जा सकता है।



जाबाली योजना

मध्यप्रदेश में वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु वर्ष 1992 से जाबाली योजना संचालित है। जिसका मुख्य उद्देश्य वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण एवं विकास की गतिविधियाँ संचालित करना है। जाबाली योजना का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं:-

1. बच्चों की शिक्षा के लिये आश्रम शाला का संचालन
2. वेश्याओं के लिये आर्थिक कार्यक्रम
3. जनजेतना जागृत करने के लिये प्रचार-प्रसार

4. वेश्याओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा इलाज की योजना

योजना की पुनर्संरचना तैयार की गई है शीघ्र ही इसमें अमल हेतु कार्यवाही की जावेगी।

वर्ष 2022-23 की प्रगति

क्र. जिला	कुल आश्रम शाला	लाभान्वित		आवंटित राशि लाख में
		बालक	बालिका	
1. छतरपुर	01	25	25	8,73,680 /—
2. सागर	02	42	41	12,31,139 /—



सेफ सिटी कार्यक्रम

प्रदेश में सेफ सिटी कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से छः शहरों — भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा में संचालित है। यह एक बहुआयामी कार्यक्रम है, जिसमें प्रशासकीय विभाग, नागरिक सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय समुदाय, शौर्या दल, मोहल्ला समिति, युवा आदि शामिल हैं।

उद्देश्य

- बालिकाओं व महिलाओं को शहर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना ताकि वो सभी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर जीवन जी सकें।
- लड़कियों व महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नजरिये व व्यवहार को बढ़ावा देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना।

कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियां

- जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन।
- रिसोर्स पर्सन का चिंहाकन।
- अधिक अपराध वाले क्षेत्रों का बेसलाइन सर्वे और हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हांकन।
- सार्वजनिक परिवहन संसाधनों में महिला सुरक्षा के लिये सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना।
- सेफसिटी ऑडिट व सेफटी संवाद।
- ऑगनवाड़ी केन्द्रों में रिसोर्स केन्द्रों की स्थापना।
- प्रचार-प्रसार।

वर्ष 2022-2023 में की गई कार्यवाही

- प्रदेश के 6 शहरों में अधिक महिला अपराध वाले 469 हॉट स्पॉट की पहचान की गई
- हॉटस्पॉट्स पर सेफटी वॉक — लगभग एक चौथाई

हॉट स्पॉट्स में अपराध रोकथाम की कार्यवाही की गई।

- चयनित शहरों में इंटर्नस, शौर्य दल, ऑगनवाड़ी केन्द्रों आदि को शामिल कर Vulnerability mapping की गई।
- सिटी बस ड्राइवर, ई-रिक्शा चालक, आशा, ए. एन.एम., सफाई कर्मचारी, शौर्य दल, कोचिंग संस्थान, स्कूल और कॉलेज, एनसीसी, ऊर्जा डेस्क आदि का जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया गया।
- राज्य स्तर पर विभागीय अधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों के लिए दो दिवसीय Men & Masculinities कार्यशाला का आयोजन कर जेंडर आधारित भेदभाव एवं हिंसा पर सहभागी चर्चा की गई।
- संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय जेण्डर एवं किशोर कार्यक्रम आधारित दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक 27 एवं 28 दिसम्बर 2022 को आयोजित की गई। जिसमें जेंडर भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, PCPNDT Act, किशोर स्वास्थ्य, सकारात्मक masculinities पर सत्रों का आयोजन किया गया।
- डिजिटल होर्डिंग, पोस्टर, फोल्डर, रेडियो, जागरूकता कार्यक्रमों आदि से संदेश प्रसारित किये गये।
- सेफ सिटी कार्यक्रम हेतु कुल राशि 1.74 करोड़ का प्रावधान है।



महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अन्तर्गत समस्त नियोक्ता (शासकीय/अशासकीय) अथवा कार्य स्थल के प्रभारी (सार्वजनिक/निजी/गैर सरकारी) का कर्तव्य है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करें तथा इस बारे में सभी अपेक्षित कदम उठा कर यौन उत्पीड़न के कृत्यों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें।

समस्त जिलो में अधिनियम अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन किया गया है। अधिनियम 2013 की धारा 5 अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा समस्त जिलों के अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया है।

भारत सरकार की कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम अंतर्गत ऑन लाईन पोर्टल – www.shebox.nic.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।



महिला हेल्पलाइन 181

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में सी एम हेल्पलाइन के साथ ही महिला हेल्पलाइन -181 की स्थापना सी-21 मिसरोद, भोपाल में की गई है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता, सूचना व सहयोग हेतु महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 की सेवाएँ 1 मार्च 2020 से प्रारम्भ की गई हैं। यह 24x7 संचालित है और इसे प्रदेश के समस्त वन स्टॉप सेंटर से एकीकृत किया गया है। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को निम्न सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं :-

- पुलिस/अस्पताल/एंबुलेंस/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण/संरक्षण अधिकारी/वन स्टॉप सेंटर आदि की सुविधाएं।
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को शासकीय सेवाओं/योजनाओं की जानकारी।
- परामर्शदाताओं के माध्यम से महिलाओं को भावनात्मक व आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।

महिलाओं को त्वरित एवं अधिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य से व्हाट्सअप व एम.एस.एस से भी जोड़ा गया है।

कोरोना महामारी के दौरान महिला हेल्पलाइन -181 के कोराना सहायता केंद्र के रूप में भी कार्य किया गया मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना के प्रकरण भी महिला हेल्पलाइन-181 में लिए गए। यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार सहायित योजना है।

महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से 1 मार्च 2020 से जनवरी 31 जनवरी 2023 तक 46821 महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश अनुरूप अप्रैल 2022 से महिला हेल्पलाइन -181 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 (CHL) एवं आपातकालीन हेल्पलाइन 112 (ERSS) का एकीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।



मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, भोपाल

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली की एक राज्य इकाई के रूप में मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, वर्ष 1956 से संचालित है। वर्ष 1986 से बोर्ड महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है। बोर्ड द्वारा महिला एवं बच्चों के कल्याण हेतु स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन करवाया जाता है। वर्तमान में राज्य में कुल 30 परिवार परामर्श केन्द्रों का संचालन स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इन केन्द्रों में पीड़ित महिलाओं एवं

बालिकाओं को परामर्श की सेवा प्रदान की जाती है। कार्यक्रम संचालन पर व्यय होने वाली शत प्रतिशत राशि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा वहन की जाती है।

राज्य बोर्ड स्थापना एवं अन्य मद पर व्यय होने वाली राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्रीय बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य शासन द्वारा बोर्ड स्थापना, पेंशन एवं अन्य मद हेतु राशि रुपये 194 लाख का प्रावधान रखा गया है। कार्यक्रम संचालन हेतु केन्द्रीय बोर्ड द्वारा राशि रुपये 129 लाख उपलब्ध कराए गए हैं।



कामकाजी महिला वसतिगृह (सखी निवास)

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास द्वारा पूर्व में संचालित कामकाजी महिला वसतिगृह (वर्किंग वूमेन हॉस्टल) मिशन शक्ति अंतर्गत (सामर्थ्य-3980) में नवीन योजना “सखी निवास” के नाम से 14 जुलाई 2022 से लागू की गई है।

उद्देश्य

राज्य शासन द्वारा कार्यरत महिला कर्मियों को अपने मूल निवास स्थान से बाहर प्रदेश के अन्य शहरों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य प्रदेश में महिला वसतिगृहों की स्थापना की गयी है। वर्तमान में प्रदेश में दो शासकीय वसतिगृह संचालित हैं। (भोपाल –100 सीटर एवं इंदौर 50 सीटर) शहरी/ग्रामीण कामकाजी महिलाओं को सुविधायुक्त, सुरक्षित आवास प्रदान करने हेतु भारत सरकार के सहयोग से “सखी निवास” योजना लागू की गई।

- राजधानी भोपाल नगर के मध्य में 100 महिलाओं की क्षमता वाला सुसज्जित भवन “स्वयंसिद्धा” महिला “सखी निवास” संचालित किया जा रहा है।
- इंदौर जिले में भी 50 महिलाओं की क्षमता वाला “सखी निवास” के.ई.एच. कंपाउंड, होटल श्रीमाया के पास संचालित किया जा रहा है।

- इंदौर जिले में भारत सरकार के सहयोग से राशि रुपये 8.13 करोड़ की लागत से 100 महिलाओं की क्षमता वाला महिला “सखी निवास” का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
- ग्वालियर जिले में 100 शैय्या वाले “सखी निवास” के प्रस्ताव को शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

योजना का लाभ

- वसतिगृह में रहवासी कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु डे-केयर सेन्टर की सुविधा के साथ भोजन, का लाभ दिया जाता है।
- 18 वर्ष तक की लड़किया एवं 12 वर्ष (प्राथमिक शिक्षा) की उम्र तक का बालक माता के साथ रह सकता है।
- कालेज में अध्ययनरत एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं एवं छात्राओं को भी वसतिगृह में स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश की स्वीकृति दी जा सकेगी जो, अधिकतम 30 प्रतिशत होगी।

यह केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें निर्माण पर होने वाले व्यय का भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन करना होता है।



पालना योजना

पालना योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार, के मिशन शक्ति गाईड लाईन अनुसार उपयोजना सामर्थ्य के अंतर्गत राष्ट्रीय झूलाघर योजना परिवर्तित कर "पालना" नामित की गई है।

योजना का लक्ष्य

कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की उचित देखभाल हेतु संचालित है।

योजना का उद्देश्य

- कामकाजी महिलाओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष) के लिए अच्छी देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना।
- बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास (समस्त विकास) को बढ़ावा देना।

योजना का स्वरूप

"पालना" योजना के तहत झूलाघरों का संचालन दो प्रकार से निम्नानुसार किया जाना है।

1 एकल पालना

2 आंगनवाड़ी – सह झूलाघर

वित्तीय प्रावधान

प्रति पालना अनुदान राशि का विवरण

क्रमांक	पालना का स्वरूप	प्रावधानित राशि
1	एकल पालना घर	355200 / –
2	आंगनवाड़ी सह पालना	90600 / –
3	स्थापना व्यय	3000 / –

प्रगति

प्रदेश के 42 जिलों से 448 आंगनवाड़ी- सह पालना के प्रस्ताव शहरी क्षेत्रों के लिये भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।



मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

कन्जरवेशन आफ ट्रेडिशनल एग्रिकल्चर कार्यक्रम

आदिवासी एवं जनजातीय कार्य विभाग के समन्वय से निगम द्वारा डिण्डौरी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि एवं ऋषि पद्धति से कृषि किये जाने के लिये 4500 बैगा आदिवासी महिला कृषकों के साथ Conservation of Traditional Agriculture कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्य तेजस्विनी कार्यक्रम के गठित महिला महासंघों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की कृषि क्षमता वर्धन करते हुये, उत्पाद में बढोत्तरी करना, कार्यक्रम क्षेत्र में जैविक खाद का पूर्णतः उपयोग, कृषि प्रसंस्करण, महिला फ्रेण्डली उपकरण का प्रदाय एवं उत्पादों के मार्केट लिंकेज करते हुये कृषि को आजीविका का स्थायी माध्यम बनाना है। उक्त कार्यक्रम में मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार, कम्पोस्टिंग, बायोगैस स्लैरी आदि कार्य

किया जावेगा साथ ही जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्प्रिंकलर ड्रीप के माध्यम से पानी का उचित उपयोग आदि के लिये भी कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत क्षेत्र में अनाज के अतिरिक्त सब्जी व फल उत्पादन के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

वर्तमान में 3604 बैगा महिलाओं के साथ 9504 एकड़ में 39305 क्विंटल कोदो का उत्पादन एवं 8598 एकड़ में 35539 क्विंटल कुटकी का उत्पादन किया जा रहा है। कोदो-कुटकी उत्पादन में प्रति एकड़ (बेसलाईन) 2.48 क्विंटल के स्थान पर अब 3.90 क्विंटल का उत्पादन किया जा रहा है। महिला कृषकों से तेजस्विनी संघों द्वारा बाजार दर से कोदो रुपये 2/- एवं कुटकी रुपये 5/- प्रति क्विंटल अधिक दर पर कय किया जा रहा है।



मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष एवं मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना

शासन द्वारा माह अगस्त 2022 से प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया जा कर मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष एवं महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वसहायता समूहों की महिलाओं एवं महिला उद्यमियों को निम्नानुसार ब्याज अनुदान देने की कार्यवाही की जा रही है :-

- प्रदेश में ग्रामीण/शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों हेतु लिए गए ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
- शासन द्वारा वित्त पोषित योजनाओं यथा – मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना आदि के अंतर्गत लाभान्वित महिला उद्यमियों को भी 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा
- विपणन कौशल उन्नयन कार्यक्रम-प्रदेश की महिला उद्यमियों द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों एवं उद्योगों से निर्मित उत्पादों के विपणन एवं विपणन कौशल सम्बन्धी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा। इसके अंतर्गत सभी तरह के बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज जैसे संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, उत्पाद डिजाइन, विकास एवं मानकीकरण, क्षमता वर्धन, वितरण नेटवर्क, मार्केट प्रमोशन, प्रचार-प्रसार आदि गतिविधियों के लिए SRLM/NULM/ MSME/ WCD अन्य विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा

योजना का क्रियान्वयन शक्ति पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा। योजना के सभी घटकों के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता, ऋण आदि के लिए विभागों की अनुशंसा के उपरांत प्रस्ताव शक्ति पोर्टल पर भेजे जायेंगे। शक्ति पोर्टल के माध्यम से ही योजना को स्वीकृत/संशोधित/अस्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी। आवेदन www.mpsaktiportal.com के माध्यम से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

वर्ष 2013 से प्रदेश की विपत्तिग्रस्त/पीड़ित/असहाय/निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2022-23 तक 4132 महिलाओं को विभिन्न विधाओं यथा फार्मसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आया/दाई/वार्ड परिचर, ब्यूटीशियन, कुकिंग/बैकिंग, आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक कोर्स/कम्प्यूटर, हॉस्पिटालिटी, होटल/ईवेन्ट मेनेजमेंट,बी.एड/डी.एड आदि विधाओं में प्रशिक्षित किया गया।

गणवेश प्रदाय कार्यक्रम

शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं (कक्षा 01 से 06 तक) को सत्र 2021-2022 में स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय किया गया। कार्यक्रम अर्न्तगत 7 जिलों – मण्डला, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, डिण्डौरी, पन्ना एवं छतरपुर में 641 स्व सहायता समूहों के माध्यम से 266190 विद्यार्थियों के लिए गणवेश तैयार कर प्रदाय किए गए। यह कार्यक्रम समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है।

आदिवासी क्षेत्र में महिला उद्यमी कार्यक्रम

महिला वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में महिला उद्यम स्थापित करने हेतु क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आदिवासी महिला उद्यम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

डिण्डौरी जिले विकासखण्ड मेहन्दवानी एवं करंजिया में तेजस्विनी संघों के माध्यम से टेक होम राशन वितरण

जिला डिण्डौरी के 2 विकासखण्ड में तेजस्विनी संघ की महिलाओं के द्वारा टेक होम राशन इकाई की स्थापना की जा कर बाल विकास परियोजना मेहन्दवानी एवं करंजिया के आंगनवाड़ी केन्द्रों के 8192 बच्चों एवं 3211 महिलाओं की टी.एच.आर. सप्लाई किया जा रहा है।

कोदो कुटकी न्यूट्री बेकरी

ग्राम स्तर पर पौष्टिक खाद्यन्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला डिण्डोरी में 4 संघों एवं मण्डला में 1 संघ के द्वारा कोदो-कुटकी न्यूट्री बेकरी का क्रियान्वयन किया गया है। बेकरी में वर्तमान में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोदो, कुटकी, मक्का, महुआ, नारियल, मुंगफली आदि के कुक्कीज एवं कोदो बन, ब्रेड बनाई जा रही है। कुक्कीज आंगनवाडी केन्द्रों में वितरित किए जा रहे व खुले बाजार में विक्रय किए जा रहे हैं। उक्त यूनिट से प्रति संघ को लगभग 1.25 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।

महिला द्वारा निर्मित एवं उत्पादित सामग्री का विपणन

म.प्र महिला वित्त एवं विकास निगम के द्वारा महिला उद्यमी एवं महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा निर्मित व उत्पादित सामग्रियों के विक्रय के लिए अन्दाई एवं भारती ब्राण्ड का पंजीयन किया गया है व www.andai.in पोर्टल के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

निगम के द्वारा तेजस्विनी संघों के माध्यम से संचालित विभिन्न इकाईयां

कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई

डिण्डोरी जिले में 2 संघों में कोदो-कुटकी प्रसंस्करण इकाई से के माध्यम से प्रति संघ को लगभग 1.80 लाख की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है।

कोदो न्यूट्री बर्फी

जिला डिण्डोरी में 8 तेजस्विनी महिला संघों के द्वारा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से आंगनवाडी केन्द्रों में प्रतिमाह कोदो बर्फी / नमकीन सप्लाई किया जा रहा है। उक्त से प्रति संघ को लगभग 1.30 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।

जिला डिण्डोरी में 7 विकासखण्ड में 8 तेजस्विनी संघों के द्वारा 1913 आंगनवाडी केन्द्रों में 46227 बच्चों व 3211 महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। जिनमें से 38035 बच्चों को कोदो कुटकी नमकीन के वितरण का कार्य किया जा रहा है।

गौंडी पेन्टिंग. जिला डिण्डोरी

ग्राम पाटनगढ में गौंडी पेन्टिंग का कार्य कागज पर परंपरागत रूप से किया जाता रहा है। म.प्र महिला वित्त एवं विकास निगम के द्वारा नवाचार के रूप में फेब्रिक पर गौंडी पेन्टिंग बनाएं जाने का सफल कार्य किया है। गौंडी पेन्टिंग के दुपट्टे जिलों व अन्य राज्यों में विक्रय किए जा रहें हैं। महिलाओं के द्वारा गौंडी पेन्टिंग के टी-शर्ट, कुर्ती, साडी, दुपट्टे, पर्दे, कुशन कवर, स्कार्फ आदि तैयार किए जा रहें हैं।

पावर लूम

जिला डिण्डोरी के गोरखपुर तेजस्विनी संघ के द्वारा पावर लूम की स्थापना की गई है। लूम में तैयार वस्त्रों का विक्रय खुले बाजार में किया जा रहा है।

सेनेटरी नैपकिन

तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ डिण्डोरी के द्वारा सेनेटरी नैपकिन यूनिट का संचालन किया जा रहा है। यूनिट में तैयार सेनेटरी नैपकिन आंगनवाडी केन्द्रों में उदिता कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई की जा रही है एवं खुले बाजार में भी विक्रय किया जा रहा है।

निगम का पता

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम
खण्ड दो, चतुर्थ तल ,पर्यावास भवन, अरेरा हिल,
भोपाल (मध्यप्रदेश) 462027

फोन : 0755 2551331

ई-मेल — mpmvvn24feb@gmail.com

वेबसाइट — mpmvvn.com



मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन, 23 मार्च 1998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत किया गया।

महिला सशक्तिकरण में आयोग के दायित्व

महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, उनके प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने, उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।

गरीब महिलाओं को कानूनी सलाह देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिये राज्य के गैर सरकारी संगठनों को सहायता करना प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना।

राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है। यह आयोग एक निकाय है, जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त है। इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक के अधिकार प्राप्त है।

आयोग इन मामलों में शिकायत प्राप्त करेगा

- महिलाओं पर अत्याचार व महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में।
- महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु निर्धारित कानूनों के क्रियान्वयन न होने पर।
- अभित्यक्त, निराश्रित तथा वेश्यावृत्ति करने के लिये मजबूर की गई महिलाओं का पुनर्वास।
- बालिका भ्रूण हत्या।

आयोग को प्राप्त सिविल अदालत की शक्तियां

- किसी व्यक्ति को सम्मन जारी किया जाकर उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।
- किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना।
- शपथ—पत्रों पर साक्ष्य ग्राह्य करना।
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या प्रति की अध्यापेक्षा करना।
- साक्षियों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना।



प्रमुख कार्यक्षेत्र

- वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं और उनके बच्चों के लिये पुनर्वास संस्तुतियां।
- अस्पतालों, मानसिक चिकित्सा देखरेख गृहों, जेलों, रिमांड होम, संरक्षण गृहों का निरीक्षण
- महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समर्थन।
- विशेषज्ञ समितियों का गठन।

कार्य निष्पादन, भ्रमण एवं निरीक्षण

- विभिन्न जिलों में महिला संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिये मौके पर जाकर निरीक्षण/जाँच पड़ताल।
- प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों की समस्याओं का अध्ययन।
- प्रदेश के अस्पतालों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन और सुधार हेतु परामर्श एवं प्रकाशन।
- मानसिक देख-रेख गृहों में महिलाओं की स्थिति का निरीक्षण।
- विपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिये पहल।
- विभिन्न स्तर पर अधिकारियों से चर्चा, विचार-विमर्श।



वर्ष 2022-2023 में आयोजित गतिविधियां

(अ) भ्रमण, महत्वपूर्ण बैठकें

1. राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा, द्वारा प्रदेश भ्रमण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 20 मई 2022 को बैठक की जाकर विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया तथा डॉ. आर. आर. भौसले संचालक, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।
2. 20 जून 2022 को एस.आर. के. कॉलेज ऑफ लॉ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल के 25 छात्रों द्वारा आयोग कार्यालय में शैक्षणिक भ्रमण किया गया।
3. भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा भोपाल में स्काउट एवं गाइड्स के लिए आयोजित सेमिनार (माइ राइट्स एण्ड मी एज़ ए लीडर) विषय के कम में दिनांक 21 एवं 22 जून 2022 को 10 राज्यों के लगभग पौने दो सौ प्रतिभागियों को म.प्र.राज्य महिला आयोग का भ्रमण कराया गया।

(ब) कार्यशाला एवं सेमिनार

1. 'महिलाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता एवं गरिमापूर्ण दृष्टि' विषय पर 25 नवम्बर 2022 को ध्रुपद संस्थान भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व स्पेशल डी.जी. श्रीमती अरुणा मोहन राव ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। कार्यशाला में गैर शासकीय संगठनों के सदस्य, संगीत साधक तथा शासन के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त तथा सेवारत अधिकारियों सहित 80 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

2. दिनांक 1 दिसम्बर 2022 को म.प्र.राज्य महिला आयोग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सेफसिटी कार्यक्रम के तहत सुरक्षा संवाद का आयोजन होटल पलाश, भोपाल में किया गया, जिसमें पुलिस विभाग, पर्यटन विकास निगम, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, गैर शासकीय संगठनों और यूनीसेफ आदि द्वारा सहभागिता की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री सुरेश तोमर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्री विनीत कपूर, डॉ. मनोज सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा सदस्यों द्वारा प्रतिभागिता की गई।
3. 12 दिसम्बर 2022 को ग्वालियर जिला मुख्यालय पर डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग तथा म.प्र.राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वधान में सेफ सिटी कार्यक्रम के तहत सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया।



भोपाल सिटी भास्कर 26-11-2022

‘स्मरण समारोह’ में संगीत के साथ लैंगिक समानता विषय पर वर्कशॉप महिलाओं के हित में सबसे ज्यादा कानून, पर ये बिना बिहेवियर चेंज के कारगर नहीं

धुपद संस्थान
सिटी रिपोर्टर : भोपाल

घर में, समाज में, कैसे अपनी भाषा, व्यवहार के जरिए हम अनजाने ही लैंगिक भेदभाव को बढ़ा रहे होते हैं, उसे पहचानने के लिए हमें खुद को परखना होगा। समानता के यह प्रथम महिला विरुद्ध पुरुष नहीं होना चाहिए, यह समानता की बात है, हममें से किसी को आगे नहीं निकलना है, बल्कि एक-दूसरे का हाथ थामकर चलना है और हमें हमारी पिछली पीढ़ी के संघर्षों को भी याद रखना होगा। यह बात सरोकार संस्था से जुड़ी कुमुद सिंह ने सुरुजपुर स्थित धुपद संस्थान में सुरुजपुर की कला। मौका था यहां चल रहे स्मरण समारोह में संगीत के साथ लैंगिक समानता विषय पर हुई वर्कशॉप का।



बेटी के जन्म पर बधाई गीत सुने या गाए हैं?

वर्कशॉप का आयोजन मध्य राज्य महिला आयोग एवं धुपद संस्थान ने मिलकर किया। कुमुद सिंह ने कहा कि आप सब गायक हैं, जहां याद करके बताएं कि अपने बेटों के जन्म पर गाए जाने वाले बधाई गीत सुने या गाए हैं? नहीं, तो कारगर होने के लिये आपको रिस्केटरी है कि आप अपने गायन से बेटों के जन्म के साथ ही होने वाले इस भेद को खत्म करने का अभियान चलाएं।

सबसे जरूरी है सोच में बदलाव करना

दुसरी बच्चा के रूप में पूर्व स्मरण श्रुती अर्थात् सोहन राव ने कहा कि लिंग भेद को समाप्त कर समाज में लैंगिक समानता को स्थापना करने के लिए सोच में बदलाव जरूरी है। महिलाओं के हित में भारत में नाबालिग कायम है, लेकिन ये बिना व्यवहार परिवर्तन के कारगर नहीं हो पाए हैं। राव के स्वर में पटना की साहित्यकार उषा किशन खान ने कलमों पाल किया। साथ ही फाहल लतीफ खान की मसाली में शास्त्रीयता के साथ घरने की तालीम, खान और अम्प्यस भी दिखा। सुनह के सत्र में विक्रमवर्द्ध गुप्ता का धुपद गायन और संजय कुमार का बहिरा पाठ हुआ।



वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग को प्राप्त आवेदन
(जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक)

क्रं	विषय	जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक	अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022	योग
1	घरेलू अत्याचार	67	223	290
2	दहेज प्रताडना	117	384	501
3	पारिवारिक विवाद	70	151	221
4	बलात्कार	35	132	167
5	बलात्कार का प्रयास	8	52	60
6	अपहरण	23	95	118
7	दहेज हत्या	06	32	38
8	हत्या	14	61	75
9	आत्महत्या	04	11	15
10	महिला प्रताडना / महिला देह व्यापार / दैहिक शोषण	170	535	705
11	कार्यस्थल प्रताडना / मानसिक प्रताडना / यौन शोषण	56	299	355
12	संपत्ति विवाद	55	163	218
13	भरण पोषण	05	14	19
14	बच्चों से संबंधित	04	3	07
15	साइबर अपराध	07	19	26
16	विभागीय प्रकरण	38	67	105
17	पुरुष प्रधान	29	67	96
18	हिंसा	04	17	21
19	मारपीट	51	232	283
20	अन्य	146	613	759
	योग	909	3170	4079

जनवरी 2019 से अब तक आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण कार्यरत (Functional) नहीं होने से आवेदनों के निराकरण हेतु बैंचों का आयोजन तथा आवेदनों पर सुनवाई कर निराकरण की प्रक्रिया बाधित रही। शासन के निर्देशानुसार जनवरी 2019 से अब तक की अवधि में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित जिलों के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/संबंधित विभाग के अधिकारियों को अग्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए। फलस्वरूप दिसम्बर 2022 तक लगभग 13 हजार आवेदन निर्देशानुसार अग्रेषित किए गए जिनमें से 50 प्रतिशत आवेदनों के प्रतिवेदन भी कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/संबंधित विभाग के अधिकारियों से आयोग को प्राप्त हो गए हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

आंगनवाड़ी सेवाएं

वर्तमान में मध्यप्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इन बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84,465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। क्षेत्रवार परियोजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	क्षेत्रवार परियोजना का प्रकार	परियोजना संख्या	आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या	मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या
1	ग्रामीण	278	51558	8430
2	आदिवासी	102	24004	4013
3	शहरी	73	8903	227
	कुल	453	84465	12670

आंगनवाड़ी सेवाएं अंतर्गत हितग्राही

क्र.	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या (लाख में)
1	2017-2018	120.00
2	2018-2019	124.00
3	2019-2020	139.00
4	2020-2021	92.47
5	2021-2022	90.05
6	2022-2023	90.58



आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु दैनिक समय सारणी

समय	गतिविधि
प्रातः 9 बजे	आंगनवाड़ी खोलना तथा बच्चों का आगमन, निर्मल समय – बच्चों की हाथों की साफ-सफाई का अवलोकन तथा साफ-सफाई।
9.30 –10.00 बजे	सामूहिक गतिविधियों का आयोजन
10.00 –10.30 बजे	नाश्ता
10.30 –11.00 बजे	बच्चों द्वारा स्वतंत्र खेल
11.00 –11.30 बजे	छोटे समूह की गतिविधियों का आयोजन
11.30 –12.00 बजे	भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल गतिविधियों का आयोजन
12.00 –12.30 बजे	रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन
12.30 –1.00 बजे	बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन
1.00 –2.00 बजे	भोजन एवं बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना
2.00 –3.30 बजे	थर्ड मील – रोजाना पोषण परामर्श – नियत दिवस समुदाय आधारित गतिविधियां (मंगल दिवस) – नियत दिवस वृद्धि निगरानी – नियत दिवस प्रति माह किशोरी बालिका योजनांतर्गत परामर्श –नियत दिवस गृहभेंट – नियत दिवस
3.30–4.00 बजे	रिकार्ड संधारण



किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए निर्धारित किराया

क्र.	परियोजना का प्रकार	आंगनवाड़ी केन्द्रों का मासिक किराया
1	ग्रामीण / आदिवासी क्षेत्र	अधिकतम राशि रुपये 1000 / – प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र
2	शहरी क्षेत्र (जिन शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 50,000 या अधिक हो)	अधिकतम राशि रुपये 4000 / – प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र

अशासकीय संस्था द्वारा संचालित समेकित बाल विकास परियोजनाएं

क्र.	अशासकीय संस्था द्वारा संचालित परियोजना	संस्था का नाम
1	समेकित बाल विकास परियोजना, गैरतगंज, जिला रायसेन	सेवा भारती, मध्यभारत, भोपाल



एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम

एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम की अवधारणा वर्ष 2021 में बनारस में आयोजित मुख्यमंत्री कौनक्लेव में चर्चा के दौरान उद्भूत हुई थी। मध्यप्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ीकृत कर बालरुचि अनुरूप बनाने एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28/12/2021 में प्रारम्भ किया गया है।

एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "शुद्ध पर्यावरण, खुशहाल परिवेश एवं स्वस्थ बच्चा" है। इस परिकल्पना पर आधारित इस अभियान में प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि, जनसामान्य, सामाजिक संगठन एवं सहयोगी संस्थाओं से सहयोग का आवाहन किया गया है।

एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से मध्यप्रदेश मॉडल में तीन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास है।

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों का अधोसंरचना विकास।
2. आंगनवाड़ी के हितग्राही बच्चों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति।
3. स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में आवश्यक सहयोग।

कार्यक्रम अन्तर्गत इच्छुक सहयोगकर्ता व्यक्ति अथवा संस्था एक अथवा अनेक आंगनवाड़ी केन्द्रों को एडॉप्ट कर इन केन्द्रों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण अथवा सेवाओं के उन्नयन में आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकता है।

कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगकर्ताओं का पंजीयन : विभागीय पोर्टल पर एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगी के रूप में पंजीयन हेतु लिंक <https://mpwcdmis.gov.in/AwcadoptionDetails.aspx> दी गई है। साथ ही इच्छुक सहयोगकर्ता के लिये मिस्ड काल हेतु मोबाईल नम्बर 8989622333 भी जारी किया गया है।



जिसके माध्यम से कोई भी सहयोगकर्ता अपनी रुचि के क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु सहयोग के लिये मिस्ट्र कॉल कर पंजीयन लिंक प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम के सतत क्रियान्वन एवं सहयोगकर्ताओं द्वारा सहयोग दी जा रही सेवाओं से नियमित रूप से अवगत होने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मोबाईल एप तैयार कराया गया है।

आंगनवाड़ी केन्द्र की आवश्यक सेवाओं के आंकलन की मैपिंग

विभाग द्वारा इस हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित कर आंगनवाड़ी केन्द्रों की मैपिंग कर प्रोफाईल तैयार की गई है:—

1. आंगनवाड़ी केन्द्र जहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध है
2. आंगनवाड़ी केन्द्र जहाँ अल्प सुविधाओं की आवश्यकता है
3. आंगनवाड़ी केन्द्र जिन्हें अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है

प्रत्येक श्रेणी में होने वाले प्रस्तावित कार्य के अनुमानित व्यय का आंकलन भी तैयार किया गया है ताकि अभिरुचिकर्ताओं/सहयोगकर्ताओं को उनके सहयोग प्रदाय में होने वाले व्यय का अनुमान प्राप्त हो सके एवं वे स्वेच्छा से AWC की आवश्यकताओं/सुविधा का चयन कर सकें।

वर्ष 2022–2023 में प्रगति

- एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम की स्वीकार्यता जन-जन तक हो, इस हेतु एक अभिनव प्रयास किया गया तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में सहयोग के लिये हाथ ठेला अभियान का नेतृत्व करते हुये माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनभागीदारी का अभूतपूर्व आह्वान करते हुए दिनांक 24 मई 2022 को भोपाल में एवं दिनांक 31 मई 2022 को इंदौर में लोगों के बीच जाकर आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के उपयोग की वस्तुएं एकत्रित की गई। इस आह्वान में विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा नगद, चेक के माध्यम से लगभग राशि रुपये 8.41 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी को

प्रदाय किये गए। कुल रुपये 1.81 करोड़ के खिलौने प्राप्त हुए जिनका वितरण भोपाल एवं इंदौर की आंगनवाड़ियों में कराया गया।

- इसी तरह जिलों एवं गाँवों में भी जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि द्वारा इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करते हुये “एडाप्ट एन आंगनवाड़ी” कार्यक्रम को जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा व्यापक जन-सहभागिता के लिये प्रदेश समस्त माननीय सांसदगणों, माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकगणों को अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया गया है।
- कार्यक्रम में सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब, रेडक्रॉस, एन. एस.एस., जैसी संस्थाओं को भी संबद्ध किया जाकर आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सहयोग लिये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
- समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप “एडाप्ट एन आंगनवाड़ी” कार्यक्रम के तहत वर्तमान में प्रदेश की कुल 97,135 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 95,752 (98.57 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केन्द्रों को 1,10,042 सहयोगकर्ताओं द्वारा एडॉप्ट किया गया।
- प्राप्त जन सहयोग से प्रथम चरण में प्रदेश के 6 हजार से अधिक केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नयन किया जा रहा है।



प्रगति

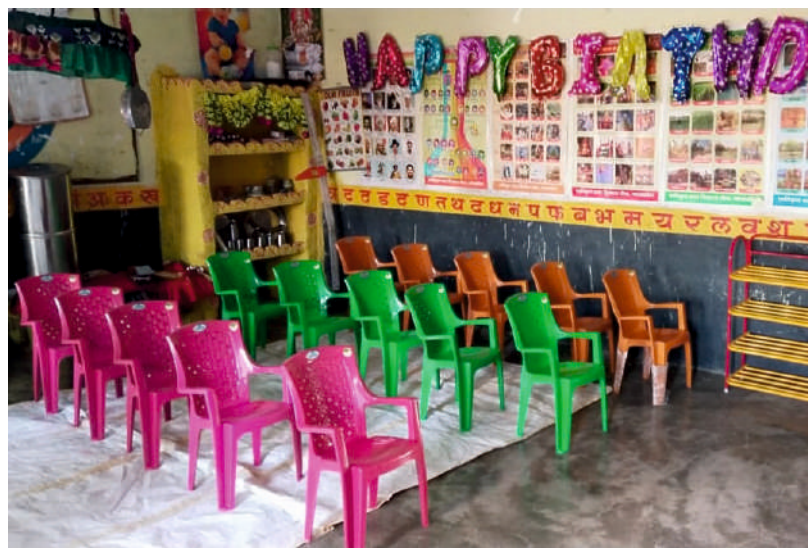
दिनांक 15 फरवरी 2023 तक कुल प्राप्त सहयोग रुपये 25.80 करोड़

विवरण	लाभान्वित संख्या	पूर्ण कार्य का अनुमानित लागत
अधोसंरचना मूलक कार्य	15549 कार्य	रुपये 6.13 करोड़
बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता	557776 (लाभान्वित बच्चे)	रुपये 8.56 करोड़
स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा	46047 (लाभान्वित बच्चे)	रुपये 89.04 लाख
भोपाल एवं इंदौर में जनसहयोग से प्राप्त राशि		रुपये 8.41 करोड़
भोपाल एवं इंदौर में जनसहयोग से प्राप्त खेलौने का अनुमानित मूल्य		रुपये 1.81 करोड़
	योग	25.80 करोड़

कार्यक्रम का सोशल आडिट

कार्यक्रम में जन सहभागिता बढ़ाने तथा प्राप्त सहयोग राशि कार्यों के उपयोग में पारदर्शिता के साथ

क्रियान्वयन पर निगरानी हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों का सोशल आडिट महिला एवं बाल विकास की सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है।



पोषण आहार

भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, एवं गर्भवती / धात्री माताओं, अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान किया गया है:-

हितग्राही	1.4.2018 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रुपये 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15 ग्राम	500 कैलोरी
अतिकम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रुपये 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800 कैलोरी
गर्भवती / धात्री माता	रुपये 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600 कैलोरी

- (1) 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं को गुणवत्तापूर्ण टेकहोम राशन प्रदाय करने हेतु राज्यमंत्री परिषद की बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2021 में एम.पी.एगो द्वारा संचालित व्यवस्था म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों के परिसंघों को टेकहोम राशन प्रदाय का कार्य दिया गया है। इन परिसंघों द्वारा देवास, धार, सागर, होशंगाबाद, मण्डला, रीवा एवं शिवपुरी जिले में संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों द्वारा भोपाल संभाग को छोड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में टेकहोम राशन का प्रदाय किया जा रहा है। भोपाल संभाग में एम.पी. एगो के बाड़ी संयंत्र से प्रदाय किया जा रहा था। नई व्यवस्था अनुसार भोपाल संभाग के जिलों को भी म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा ही टेकहोम राशन प्रदाय किया जावेगा। विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से निम्नानुसार खाद्य सामग्री अलग-अलग दिवसों में दी जा रही है:-



क्र	खाद्यान्न का नाम	हितग्राही	प्रति हितग्राही प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन प्रति दिन प्रति हितग्राही (ग्राम में)	प्रति दिन प्रति हितग्राही कैलोरी
1	2	3	4	5	6
1	गेहूँ, सोया बफी (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री माताएँ	150 ग्राम	25	653
2	आटा बेसन लड्डू (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री माताएँ	150 ग्राम	26	654
3	खिचड़ी	गर्भवती/धात्री माताएँ	150 ग्राम	27.5	665
4	हलुआ (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	20	525
5	बाल आहार (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	19.6	527
6	खिचड़ी	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	23	554

डिण्डौरी जिले की दो परियोजनाओं करंजिया व मेहदवानी में मोटे अनाज आधारित टेक होम राशन तेजस्विनी स्वसहायता समूहों द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

- (2) ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है :—

सांझा चूल्हा व्यवस्था अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों, को प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार में विविधता के लिए साप्ताहिक सांकेतिक मेनू				
दिन	सुबह का नाश्ता (रैसिपी)	दोपहर का भोजन (रैसिपी)	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
सोमवार	मीठी लाप्सी	रोटी—सब्जी—दाल	12—15	500
मंगलवार	पौष्टिक खिचड़ी	खीर—पुड़ी—आलू मटर/आलू चने सब्जी		
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी—सब्जी— दाल		
गुरुवार	नमकीन दलिया	वेज पुलाव—पकोड़े वाली कढ़ी		
शुक्रवार	उपमा	रोटी—सब्जी—दाल		
शनिवार	मीठी लाप्सी	रोटी—सब्जी—दाल/चावल सांभर		

प्रदेश के शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त आँगनवाड़ी केन्द्रों/उप आँगनवाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार का प्रदाय स्व सहायता समूह/महिला मण्डल के माध्यम से किए जाने का प्रावधान था। राज्य शासन द्वारा उक्त व्यवस्था में माह मई 2021 से परिवर्तन कर आँगनवाड़ी केन्द्रों/उप आँगनवाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को ताजे पके हुए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह एवं तेजस्विनी महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से की गई है।

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अनुरूप ही पोषण आहार दिया जा रहा है।

- (3) 06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को नाश्ता के मीनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

पूरक पोषण आहार अंतर्गत बजट प्रावधान

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पोषण आहार मद अंतर्गत राशि रुपये 1272.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

टेक होम राशन की मॉनिटरिंग – टेक होम राशन की मॉनिटरिंग हेतु विभागीय एम.आई.एस. में एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें संयंत्रों को पोषण आहार का प्रदाय भरना होता है एवं उसके विरुद्ध परियोजना अधिकारी प्राप्त मात्रा एवं दिनांक अंकित करते हैं। इसी के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा देयक प्रमाणित किये जाते हैं।

प्रदेश में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा

- प्रदेश में वर्ष 2017 से डिंडौरी जिले के सभी परियोजना क्षेत्र तथा मंडला जिले के 02 परियोजना क्षेत्र में 3 से 6 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों को सुबह के नाश्ते में मोटे अनाज से तैयार रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है।
- वर्ष 2021-22 से डिंडौरी जिले के 02 बाल विकास परियोजनाओं मेहंदवानी और करंजिया में गर्भवती महिला, धात्री माता तथा 6 माह से 03 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को मोटे अनाज आधारित टेक होम राशन प्रदाय किया जा रहा है।



प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय करने के उद्देश्य से प्रदेश की शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 जारी की गयी है। ई.सी.सी.ई. के सुदृढीकरण हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विस्तृत ईसीसीई प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में शाला परिसर में लगने वाले लगभग 19,352 आंगनवाड़ी केंद्रों में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा विभाग के सहयोग से

आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा के संचालन के लिये 10 थीम्स आधारित पुस्तकें तैयार की गयीं हैं, इन पुस्तकों को शाला पूर्व शिक्षा के संचालन हेतु शाला परिसरों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं एवं बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध एवं विकास की गतिविधियों के संचालन के लिये जवाहर बाल भवन, भोपाल में राज्य स्तरीय रिसोर्स सेंटर स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।



आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण

प्रदेश में वर्तमान में 97135 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिनमें से 84,465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। जिसमें से 51,005 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय, 21,696 अन्य शासकीय भवनों में, 24434 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

वर्तमान में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य राज्य आयोजना मद अन्तर्गत मनरेगा के अभिसरण से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त नवीन प्राक्कलन अनुसार अधिकतम राशि रुपये 11.22 लाख के मान से कराया जा रहा है। आंगनवाड़ी भवन महिला एवं बाल विकास विभाग का अंशदान राशि रुपये 6.22 लाख तथा मनरेगा का अंशदान राशि रुपये 5.00 लाख निर्धारित है। मनरेगा अभिसरण से भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर भारत सरकार से प्रतिभवन राशि रुपये 2.00 लाख प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आयोजना मद 5360 अन्तर्गत राशि रुपये 19.97 करोड़ से 321 नवीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण मनरेगा अभिसरण से कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्ध 321 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति एवं बजट जारी किया गया है। जिनका निर्माण कार्य निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनजातीय विकास विभाग, म.प्र. द्वारा 160 आंगनवाड़ी भवन एवं अनुसूचित जाति

विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कुल 105 भवन स्वीकृत किये गये हैं। इन भवनों का निर्माण बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के मनरेगा अभिसरण से स्वीकृत किन्तु अपूर्ण 3379 आंगनवाड़ी भवनों में से 2308 अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों को पूर्ण कराने हेतु कुल राशि रुपये 82.81 करोड़ का आवंटन जिलों को जारी किया गया।

आंगनवाड़ी भवनों में रंग-रोगन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रशासकीय विभाग के भारसाधक मंत्री जी के द्वारा की गई पहल के कारण पहली बार विभागीय एवं अन्य शासकीय भवनों की सामान्य मरम्मत कार्य एवं रंग-रोगन के लिए क्रमशः राशि रुपये 3000/- एवं राशि रुपये 5000/- का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 44811 आंगनवाड़ी भवनों के रंग-रोगन एवं सामान्य मरम्मत कार्य के लिए कुल राशि रुपये 31.80 करोड़ का आवंटन जिलों को जारी किया गया।

आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विद्युत देयकों के भुगतान हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विभागीय आंगनवाड़ी भवनों में



किए गए 24677 विद्युत कनेक्शनों में से 24589 आंगनवाड़ी भवनों के विद्युत देयको के भुगतान हेतु कुल राशि रुपये 17.70 करोड़ जिलों को जारी किये गये।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विद्युत कनेक्शन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है। विभागीय आंगनवाड़ी केन्द्रों में पहली बार विद्युत व्यवस्था (कनेक्शन) के लिए मंत्री परिषद संक्षेपिका से स्वीकृति प्राप्त की गई है। जिसका बजट जारी किया जा रहा है।

विभागीय शासकीय भवनों का मरम्मत-रखरखाव

विभाग के 11 विभागीय भवनों की मरम्मत के लिए पूर्व वर्षों की कुल लंबित राशि रुपये 77.51 लाख तथा

निर्माण एजेंसी के नवीन एसओआर अनुसार 23 विभागीय एवं शासकीय भवनों के मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 2.45 करोड़ का बजट आवंटन जारी किया गया।

विभागीय शासकीय भवनों का मरम्मत-रखरखाव

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के बाढ़ एवं अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त 4345 आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राशि रुपये 58.88 करोड़ का आवंटन जिलों को जारी किया गया तथा इन सभी क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत/रखरखाव कार्य कराया जा रहा है।

विगत 05 वर्षों में आंगनवाड़ी भवन निर्माण

क्र.	वर्ष	मद	लागत राशि प्रति भवन	स्वीकृत भवन
1	2018-19	राज्य आयोजना मद	7.80 लाख	329
2	2019-20	राज्य आयोजना मद	7.80 लाख	513
3	2020-21	राज्य आयोजना मद	7.80 लाख/9.00 लाख	373
4	2021-22	राज्य आयोजना मद	9.50 लाख	1994
5	2022-23	राज्य आयोजना मद	11.22 लाख	321
		आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र		160
		प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना		105



विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

समेकित बाल विकास सेवा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये नव-नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पश्चात सर्वप्रथम 8 दिवस का इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात पर्यवेक्षकों को 32 दिवस का मूलभूत प्रशिक्षण मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (Middle Level Training Center) में दिया जाता है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 32 दिवस का तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 8 दिवस का मूलभूत प्रशिक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (Anganwadi Worker Training Center) में दिया जाता है। इसके अलावा पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7 दिवसीय एवं सहायिकाओं को 5 दिवसीय प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण 02 वर्ष बाद दिये जाने का प्रावधान है। विभाग में नवनियुक्त सहायक संचालकों एवं परियोजना अधिकारियों को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में आधारभूत प्रशिक्षण (07 सप्ताह) प्रदान किया जाता है एवं आंगनवाड़ी सेवाओं के लिये बाल विकास परियोजना अधिकारियों को जॉब प्रशिक्षण (32 दिवस) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) नई दिल्ली एवं इंदौर में कराया जाता है।

उद्देश्य

- आई.सी.डी.एस. के सभी स्तर के अधिकारी / कर्मचारी के ज्ञान, कौशल और दक्षता में सतत संवर्धन करना।
- विभाग के प्रत्येक स्तर के कार्यकर्ता को सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने हेतु तैयार करना एवं उनको सेवाओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

विभागीय प्रशिक्षण संस्थान

पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिये विभाग में 01 अशासकीय मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (Middle Level Training Center) जबलपुर में एस आई आर डी द्वारा संचालित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक संभाग में 1 इस तरह कुल 10 शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र है।



प्रगति

भारत सरकार से प्रशिक्षण संचालन के निर्देश प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2022-2023 में विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2022 तक विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऑनलाईन/ऑफलाईन कुल 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये गये हैं। इन प्रशिक्षणों में प्रदेश के जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षकों एवं अन्य कुल 355 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जो निम्नानुसार है—

क्र.	प्रशिक्षण संस्थान	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	निपसिड दिल्ली (Online)	08	70
	निपसिड दिल्ली (Offline)	01	05
2	निपसिड इंदौर (Online)	16	213
	निपसिड इंदौर (Offline)	03	35
3	प्रशासन अकादमी, भोपाल	02	32
	योग	30	355



अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन

प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा पाँच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार करने के उद्देश्य से मिशन प्रारंभ किया गया है, ताकि वर्तमान में प्रदाय की जा रही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं और उनके सभी घटकों जैसे – वित्तीय संसाधनों का सही और उचित समय पर उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने आदि के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया जा सके। मिशन के

माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के संदर्भ में आई.सी.डी.एस. तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की Gap Filling के माध्यम से सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अति गंभीर कुपोषित बच्चों के समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन जैसे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं और प्रदेश में कुपोषण लगातार कम हुआ है। मध्यप्रदेश में पोषण स्थिति में हुये सुधार का परिदृश्य



NFHS-5 (वर्ष 2021) के आंकड़ों से परिलक्षित होता है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	श्रेणी	सुधार	राष्ट्रीय रैंकिंग
1	कम वजन	9.8 : की कमी	2
2	ठिगनापन	6.3 : की कमी	6
3	मध्यम गंभीर कुपोषण	4.1 : की कमी	3
4	अति गंभीर कुपोषण	2.7 : की कमी	6

मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम

प्रदेश स्तर पर गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम अंतर्गत समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated management of acute malnourished children I-MAM) के तहत गंभीर कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित

बच्चों के पोषण प्रबंधन एवं कुपोषण के रोकथाम हेतु समेकित प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास अन्तर्गत कुपोषण के जोखिम से बचाने एवं कुपोषण निवारण हेतु अन्तर्पीढ़ीगत दृष्टिकोण आधारित हस्तक्षेप को सम्मिलित किया गया है:-

1. **उपचारात्मक हस्तक्षेप** इस हस्तक्षेप अंतर्गत गंभीर कुपोषण की श्रेणी वाले अति गंभीर कुपोषण (SAM) श्रेणी के चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता एवं गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार संस्थागत एवं समुदाय स्तर पर परिवार के सहयोग से उपचार तथा पोषण प्रबंधन किया जाता है। साथ ही मध्यम गंभीर कुपोषित (MAM) बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु समुदाय स्तर पर उनके पोषण प्रबंधन का सघन प्रयास किया जाता है।

2. **रोकथाम/प्रतिबंधात्मक हस्तक्षेप** कुपोषण के कारणों में अन्तर्पीढ़ीगत कारणों के निवारण के बिना कुपोषण निवारण का प्रयास संभव नहीं है। इस हेतु



आवश्यक है कि कुपोषण के प्रारम्भिक कारणों की पहचान कर उसका निदान किया जावे। इस हस्तक्षेप अन्तर्गत चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं एवं कम वजन के जन्मे बच्चों का उनके जन्म के प्रथम 6 माह के दौरान गृहभेंट एवं अतिरिक्त विशेष देखभाल करना सम्मिलित किया गया है साथ ही सभी मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित कराना।

क्रियान्वयन

विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं यूनिसेफ, मध्यप्रदेश के तकनीकी सहयोग से मध्यम एवं अति गंभीर कुपोषित बच्चों के समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम (IMAM) हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम का क्रियान्वयन अंतर्गत IMAM रणनीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों का संस्थागत उपचार एवं पोषण प्रबंधन एवं गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों को पंजीकृत कर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा अनुशंसित दस चरणों में समुदाय स्तर पर परिवार के सहयोग से पोषण प्रबंधन किया जाता है। विभाग द्वारा बच्चों की नामवार जानकारी विभागीय ऐपलिकेशन सम्पर्क एप में एकत्र कर सभी पंजीकृत बच्चों का 12 साप्ताहिक फॉलोअप किया जाकर परिवार को सहयोग किया जाता है।



उपलब्धि

विभाग द्वारा सितम्बर 2020 से 25 जनवरी 2023 के दौरान किये गये प्रयासों से लगभग 10.03 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण प्रबंधन हेतु पंजीकृत किया गया है। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत निम्नानुसार सुधार परिलक्षित हुआ है:-

- 2.16 लाख SAM बच्चे पंजीकृत किये गये जिसमें से 1.67 लाख बच्चे सामान्य पोषण स्तर में आ गये हैं, जो 77.31 प्रतिशत है एवं 29603 SAM बच्चे (13.7 प्रतिशत) आंशिक पोषण स्तर से (MAM) श्रेणी में परिवर्तित हुये।
- 7.86 लाख पंजीकृत (MAM) बच्चों में से 6.89 लाख बच्चे सामान्य पोषण स्तर में आ गये हैं, जो 87.65 प्रतिशत है।
- कुल पंजीकृत 10.03 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों में से 8.57 लाख बच्चे सामान्य पोषण स्तर में आ गये, जो 85.44 प्रतिशत है।



पोषण 2.0 (पोषण अभियान)

पोषण अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मार्च 2018 में किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना “पोषण अभियान” का संचालन प्रदेश के समस्त 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत 97135 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। अभियान का लक्ष्य वास्तविक समय में निगरानी के द्वारा बच्चों में कम वजन, ठिगनापन एवं शारीरिक अपक्षय (wasting) तथा बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं/महिलाओं में एनीमिया के स्तर को समयबद्ध तरीके से कम करना है।

भारत सरकार के नवीन निर्देशों के अनुसार अगस्त 2022 से पोषण अभियान का स्वरूप परिवर्तित कर “पोषण 2.0 (पोषण अभियान)” किया गया है। पूर्वानुसार पोषण 2.0 प्रदेश के समस्त 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत 97135 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

पोषण 2.0—मातृ पोषण, नवजात एवं शिशुओं का आहार एवं स्वास्थ्य, गंभीर एवं अति गंभीर शिशुओं की चिकित्सा एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिये आयुष के उपयोग

पर केन्द्रित है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभिसरण, अच्छा प्रशासन, क्षमतावर्धन का उपयोग कर लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाया जायेगा।

पोषण अभियान (पोषण 2.0) के घटक

1. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी

इस हेतु भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप्लिकेशन बनाया गया है। पोषण ट्रैकर ऐप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से की जा रही सेवा वितरण, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, किशोरियों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में 97135 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जा कर कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा कुल 89490 स्मार्ट फोन क्रय किये जिसमें से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 86462 एवं पर्यवेक्षक को 3028 को उपलब्ध कराये गये हैं। स्मार्ट फोन के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप्लिकेशन का उपयोग कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं की दैनिक जानकारी की शत प्रतिशत प्रविष्टि हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।



प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर वृद्धि निगरानी उपकरण (GMD)

स्टेडियोमीटर (02 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की ऊँचाई के नाप हेतु उपयोग), इन्फैंटमीटर (06 माह से 02 वर्ष तक के बच्चों की लम्बाई के नाप हेतु उपयोग), वजन मशीन (नवजात एवं शिशु एवं माता के लिए) प्रदाय किये गये हैं, जिससे बच्चों एवं माताओं की कुपोषण तथा स्वास्थ्य की निगरानी सही प्रकार से की जा सके।

2. समुदाय आधारित गतिविधियां (CBE)

आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं की गुणवत्ता, पहुँच एवं विस्तार के उद्देश्य से जनसमुदाय की भागीदारी को बढ़ाने हेतु भारत सरकार के पोषण 2.0 अंतर्गत नवीन दिशा निर्देश का पालन करते हुये प्रति माह प्रत्येक प्रथम मंगलवार को सुपोषण दिवस, द्वितीय मंगलवार को गोदभराई, तृतीय मंगलवार को अन्नप्राशन, चतुर्थ मंगलवार को बाल चौपाल एवं प्रत्येक तीन माह में आने वाले पांचवे मंगलवार को लालिमा दिवस का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। इन आयोजनों में उपस्थित पात्र हितग्राहियों को पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बंधी विषयों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जानकारी एवं परामर्श दिया जाता है। मंगल दिवसों के आयोजन हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिये राशि रुपये 500/- प्रतिमाह प्रदाय की जाती है।

3. जन आन्दोलन

पोषण विषय पर जनजागरूकता एवं इसे जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष में एक बार पोषण माह (माह सितम्बर) एवं पोषण पखवाडा (माह मार्च) का

आयोजन किया जाता है। इस वर्ष पोषण माह का आयोजन माह सितम्बर 2022 में किया गया। प्रदेश में पोषण माह हेतु भारत सरकार द्वारा "सशक्त/सबल नारी, साक्षर बच्चा, स्वस्थ भारत" टैग लाईन का निर्धारण किया गया। इस हेतु पोषण माह के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियां निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही –

- महिला और स्वास्थ्य,
- बच्चा और शिक्षा— पोषण भी पढाई भी,
- लिंग संवेदी जल संरक्षण प्रबंधन,
- जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन।

उपरोक्तानुसार प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरे माह विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, भारत सरकार के जन आंदोलन पोर्टल अनुसार 1.16 करोड़ गतिविधियों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आयोजन कर हितग्राही को लाभान्वित किया गया।

4. प्रोत्साहन और पुरस्कार

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह पोषण 2.0 के कार्य एवं दैनिक प्रविष्टि हेतु पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को राशि प्रदाय की जाती है।

5. मानव संसाधन

पोषण 2.0 योजना को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 567 पद ऑउटसोर्स पर स्वीकृत है। सलाहकार 03, लेखापाल 01, प्रोजेक्ट



एसोसिएट 02, सेक्रेट्रियल असिस्टेंट 02, भृत्य 02 एवं जिलों हेतु 51 जिला समन्वयक, 51 जिला परियोजना समन्वयक, 453 ब्लॉक समन्वयक आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किये गये।

6. आई.ई.सी

आई.ई.सी गतिविधियों का लक्ष्य केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं एवं लाभ के सम्बंध में समुदाय/आमजन को जागरूक एवं जानकारी प्रदान करना। उक्त जानकारी के आधार पर समुदाय में बीमारियों से बचने एवं अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के लिये बढावा मिलेगा। ये गतिविधियां ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रिंट मीडिया, दूरदर्शन, रेडियो एवं सोशल मीडिया कैम्पेन आदि के माध्यम से की जाती है।

स्वस्थ बालक स्पर्धा

पोषण माह 2022 के दौरान स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन दिनांक 26 सितम्बर 2022 को आयोजित किया गया। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु समुदाय की सहभागिता से बेहतर परिणाम प्राप्त करने, प्रत्येक बच्चे के माता-पिता की पोषण संबंधी जागरूकता, बच्चे के पोषण स्तर की निगरानी परिवार स्तर पर सुनिश्चित करती है। समाज में परिवार स्तर पर बच्चों की अतिरिक्त देखभाल स्वस्थ बच्चों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अन्य माता-पिताओं को अपने-अपने बच्चों के पोषण के प्रति प्रेरित करती है।

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समुदाय की स्वास्थ्य एवं पोषण विषयों पर भागीदारी एवं “सुपोषित भारत” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहल के रूप में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में “स्वस्थ बालक स्पर्धा” के आयोजन किये जा रहे हैं। स्पर्धा में 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के कुल 33.82 लाख एवं 03 से 05 वर्ष के कुल 23.94 लाख बच्चों में से 6.17 लाख बच्चों को चिन्हांकित कर उन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्थानीय स्तर पर 1,92,456 जन प्रतिनिधियों एवं एडाप्ट एन आंगनवाड़ी के सहयोगकर्ताओं के माध्यम से प्रदाय किया गया।

द्वितीय स्वस्थ बालक स्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी 2023 में प्रारंभ किया गया था। जिसमें 76,128 आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा 60.09 लाख बच्चों की वृद्धि निगरानी की गई। जिसमें से सामान्य श्रेणी में आये बच्चों की संख्या 55 लाख है। शेष आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी संकलित की जा रही है।

7. पुरस्कार

पोषण अभियान अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये दतिया जिले के मेरा बच्चा अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त



राष्ट्रीय पोषण माह 2022



जिला _____

बालक/बालिका _____

पिता _____ माता _____

ने स्पर्धा में भाग लिया और _____ स्थान प्राप्त किया.

इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी केंद्र : _____

पर्यवेक्षक

सेक्टर : _____

परियोजना अधिकारी

परियोजना : _____

सरपंच

पंचायत : _____

हुआ है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में दिनांक 28 अगस्त 2022 को अपने उद्बोधन में पोषण अभियान अंतर्गत दतिया जिले के मेरा बच्चा अभियान की प्रशंसा की है।

8. नवाचार-पोषण अभियान अन्तर्गत निम्नानुसार नवाचार गतिविधियां आयोजित की जा रही है-

पोषण मटका

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पोषण महोत्सव के दौरान समुदाय की सहभागीता से कुपोषण के कलंक को खत्म करने के उद्देश्य से समुदायिक सहभागिता के रूप में पोषण मटका में खाद्य सहयोग की अपील की गई है। प्राप्त खाद्यान्न का उपयोग अति कम वजन/अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को सहयोग हेतु किया जाता है। इस हेतु ग्राम/नगर के समृद्ध किसानों/परिवारों से सहयोग लेकर प्राप्त किया जा रहा है। पोषण मटका के माध्यम से प्राप्त वर्ष 2022-23 में 1609 मैट्रिक टन खाद्य सामग्री (अनाज/दाल/फल-सब्जी) का संग्रहण कर अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवार को सहयोग किया जा रहा है।

पोषण मटका कार्यक्रम की माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में दिनांक 28 अगस्त 2022 को अपने उद्बोधन में पोषण मटका कार्यक्रम एवं बाल भोज कार्यक्रम की प्रशंसा की है।

पोषण वाटिका

पोषण अभियान में कुपोषण एवं एनीमिया निवारण हेतु पोषण वाटिका को एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में अनुशंसित किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार प्रदेश में स्थानीय परिवारों, समुदाय, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय भवनों में पोषण वाटिका का निर्माण कर स्थानीय स्तर पर पोषण विविधता को बढ़ावा दिया जाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य "जो लगायें वही खाएं - जो खाएं वही लगायें" के सिद्धान्त पर पोषण वाटिका के माध्यम से आसानी से उगने वाली हरी, पत्तेदार साग, सब्जियां/फल आदि लगाकर समुदाय स्तर पर इनके उपयोग हेतु व्यवहार परिवर्तन लाना है। प्रदेश के शासकीय भवनों एवं किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में लगभग 49900 पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा पोषण वाटिकाओं में सब्जियों का उत्पादन किया जाकर कुपोषित बच्चों हेतु परिवारों को प्रदाय किया जा रहा है। पोषण वाटिकाओं की संख्या निरन्तर परिवर्तनशील है।

9. भारत सरकार द्वारा कुल 16 DLI (Disbursement Linked Indicators) पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 15 DLI पूर्ण कर प्रदेश द्वारा राशि रुपये 55 करोड (लगभग) प्राप्त की है।



सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन

आँगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाओं की गुणवत्ता, पहुँच एवं विस्तार के उद्देश्य से जनसमुदाय की भागीदारी को बढ़ाने हेतु भारत सरकार के पोषण 2.0 अंतर्गत नवीन दिशा निर्देश का पालन करते हुये प्रति माह प्रत्येक प्रथम मंगलवार को सुपोषण दिवस, द्वितीय मंगलवार को गोदभराई, तृतीय मंगलवार को अन्नप्राशन, चतुर्थ मंगलवार को बाल चौपाल एवं प्रत्येक तीन माह में आने वाले पांचवे मंगलवार को लालिमा दिवस का आयोजन आँगनवाड़ी केन्द्रों पर किया जाता है। इन आयोजनों में उपस्थित पात्र हितग्राहियों को पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बंधी विषयों पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जानकारी एवं परामर्श दिया जाता है। मंगल दिवसों के आयोजन हेतु प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र के लिये राशि रुपये 500 /— प्रतिमाह प्रदाय की जाती है।

प्रथम मंगलवार – सुपोषण दिवस

सुपोषण दिवस में पोषण स्तर में सुधार हेतु परिवार के पुरुष सदस्यों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ग्राम की महिला स्व सहायता समूह एवं आशा के सहयोग से परिवार के पुरुष सदस्यों की बैठक आयोजित की जाती है। जिसमें गर्भावस्था के दौरान शीघ्र पंजीयन, 04 ए.एन.सी जाँच, अतिरिक्त आहार, आयरन अनुपूरण एवं स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण के प्रति जागरूकता आदि। साथ ही बच्चों के जन्म के पूर्व एवं पश्चात 2 वर्ष तक (1000 दिवस) अपनाई जाने वाली सावधानियों एवं पुरुष सदस्यों की जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाता है।



पात्र हितग्राही – हितग्राही परिवार के पुरुष सदस्य व जन-प्रतिनिधि

द्वितीय मंगलवार – गोदभराई दिवस

गोदभराई कार्यक्रम में गांव की गर्भवती महिलाओं शीघ्र पंजीयन हेतु आँगनवाड़ी केन्द्र में आमंत्रित कर उनकी गोदभराई का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के शीघ्र पंजीयन, मातृ शिशु रक्षा कार्ड के उपयोग, एवं गर्भवती माता द्वारा आयरन फॉलिक एसिड व कैल्शियम की गोलियों के सेवन एवं धात्री माताओं को शिशु को स्तनपान कराने, संस्थागत प्रसव हेतु आवश्यक तैयारी, प्रसव उपरांत एक घंटे के अंदर स्तनपान, जन्म के 06 माह तक केवल स्तनपान जैसे जरूरी विषयों पर परिवार एवं समुदाय को परामर्श दिया जाता है। कार्यक्रम में सम्मिलित गर्भवती महिला को मांगलिक सामग्री जैसे—श्रीफल, सिंदूर, चूड़ी, बिन्दी इत्यादि के साथ साथ खाद्य विविधता आधारित पोषण की टोकरी, फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड व कैल्शियम की गोलियां प्रदाय की जाती है। साथ ही उन्हें तथा उनके परिवार सदस्यों को गर्भावस्था में उचित पोषण, आराम एवं स्वास्थ्य देखभाल से सम्बंधित जानकारी दी जाती है।

पात्र हितग्राही : गर्भवती एवं धात्री महिलाएं।



तृतीय मंगलवार – अन्नप्राशन दिवस

अन्नप्राशन कार्यक्रम में 06 माह की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को प्रथम बार ऊपरी आहार की शुरुआत आँगनवाड़ी केन्द्र में की जाती है। 06 माह से 24 माह आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित कर ऊपरी आहार की मात्रा एवं उपयोगिता, बारम्बरता एवं स्वच्छता सम्बंधी, बीमारी के दौरान शिशु का आहार जारी रखना एवं बीमारी के उपरांत आहार की मात्रा बढ़ाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत परामर्श दिया जाता है। हितग्राही बच्चे को प्रतीक स्वरूप कटोरी चम्मच के साथ बच्चों के ऊपरी आहार से संबंधित खाद्य विविधता से सम्बंधित सावधानियों के संबंध में जानकारी दी जाती है।

पात्र हितग्राही : 06 से 24 माह के बच्चे।

चतुर्थ मंगलवार – बाल चौपाल

बाल चौपाल में प्रत्येक माह विशेष में आने वाले सभी 1 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का जन्मदिन एवं 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों द्वारा शालापूर्व शिक्षा अर्न्तगत मासिक थीम अनुसार बाल चौपाल की गतिविधियाँ आँगनवाड़ी स्तर पर सामूहिक रूप से आयोजित की जाती है। आँगनवाड़ी केन्द्र में कार्यक्रम के दौरान शालापूर्व शिक्षा वाले बच्चों के अभिभावक को शामिल कर बच्चों के समग्र शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास के सम्बंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आयोजन के दौरान बच्चों को भेंट के रूप में पेन्सिल, रबर, पानी की बॉटल इत्यादि प्रतीक स्वरूप जन सहयोग से दिए जाने का प्रावधान है।

पात्र हितग्राही : 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे।



पांचवा मंगलवार – लालिमा दिवस

लालिमा दिवस के दिन किशोरी बालिकाओं एवं प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को आमंत्रित कर उन्हें लक्षणों के आधार पर खून की कमी की पहचान, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन एवं वर्ष में एक बार कृमिनाशक गोली का सेवन, संतुलित आहार, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन एवं मासिक धर्म के समय स्वच्छता एवं उचित देखभाल, उदित कॉर्नर के माध्यम से सैनेटरी नैपकीन के उपयोग को बढ़ावा, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों से सम्बंधित परामर्श दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सामान्य ज्ञान एवं खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं एवं कार्यक्रम के दौरान किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उपचार कर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है।

पात्र हितग्राही : किशोरी बालिकाएं एवं प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं।



प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

योजना का स्वरूप एवं प्रदेश में विस्तार

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गयी है।

योजना का उद्देश्य एवं पात्रता

गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात् उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना।

योजना अन्तर्गत समस्त गर्भवती महिलायें एवं धात्री मातायें प्रथम जीवित जन्मे बच्चे पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति उपरान्त प्रत्येक हितग्राही को राशि रु 5000 सशर्त मातृत्व लाभ तीन किस्तों में आधार लिंकड बैंक / डाकघर खाते में प्रदान करने का प्रावधान है।

लक्षित हितग्राही

योजना अन्तर्गत समस्त गर्भवती महिलायें एवं धात्री मातायें प्रथम जीवित बच्चे पर सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को छोड़कर।

भारत सरकार द्वारा योजना के पूर्व प्रावधानों में परिवर्तन करते हुये मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 2-0 स्वरूप में परिवर्तन करते हुये नवीन प्रावधान अनुसार PMMVY 2-0 योजना का क्रियान्वयन 01 अप्रैल 2022 से सम्पूर्ण भारत में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। नवीन प्रावधान निम्नानुसार है।

योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहन प्रदान करना है।



प्रावधान

- नवीन प्रावधान मे प्रथम प्रसव पर राशि रुपये 5000 दो किशतों मे प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
- द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म होने पर राशि रुपये 6000 का लाभ एक किशत में किया जाएगा।

पात्रता

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, वर्ग, 40 प्रतिशत पूर्णतः दिव्यांग महिलाएं, गरीबी रेखा राशनकार्ड धारी महिलाएं, आयुष्मान भारत अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हितग्राही महिलाएं, ई.श्रम कार्ड धारी महिलाएं, किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत लाभान्वित महिला हितग्राही, मनरेगा जॉब कार्ड धारी

महिलाएं, 8 लाख प्रति वर्ष से कम शुद्ध पारिवारिक आय वाली महिलाएं, गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं आशा।

योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ दिनांक 01 जनवरी 2017 से दिनांक 23 फरवरी 2023 की स्थिति में 33.50 लाख हितग्राहियों को पंजीकृत कर राशि रुपये 1480.58 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 5.20 लाख हितग्राहियों को पंजीकृत कर राशि रुपये 254.20 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

प्रदेश वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में राष्ट्रीय स्तर पर योजना क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है।



समेकित बाल संरक्षण योजना

उद्देश्य

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों के समग्र विकास, पुनर्वास एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनांतर्गत संस्थानिक सेवायें (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, बालगृह, आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह) एवं गैर संस्थानिक सेवायें (दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप) के माध्यम से देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों के प्रकरण पर कार्यवाही हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान है। यह “बाल अधिकार संरक्षण” और “सर्वोत्तम बाल हित” के दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का समग्र कल्याण एवं सुभेद्यता में कमी लाना है।

लक्ष्य

- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हेतु अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण।

- किशोर न्याय अधिनियम का क्रियान्वयन।
- सभी स्तरों पर क्षमता बढ़ाना।
- बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान आधार सृजन करना।
- परिवार एवं समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढ़ीकरण।
- सभी स्तरों पर अन्तः क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।
- विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में संचालित अन्य बाल कल्याण योजनाओं को एक छत के नीचे संचालित करना।
- साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन।

देखरेख और संरक्षण का जरूतमंद बालक

- ऐसा बालक जिसके बारे में पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान और जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं है।
- अनाथ, बेसहारा, अभ्यर्पित, निराश्रित।
- वह बच्चे जिनके माता-पिता उन्हें पालने में सक्षम नहीं है।
- परित्यक्त, गुमशुदा एवं घर से भागे हुए बच्चे।



- विपत्तिग्रस्त अथवा कठिन परिस्थिति में रह रहे बच्चे ।
- हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाये हुए बच्चे ।
- मानसिक एवं शारीरिक रूप से मंदित या बीमार बच्चे ।
- एड्स पीड़ित बच्चे अथवा संक्रमित परिवार के बच्चे ।
- मानव तस्करी से मुक्त करवाये गये बच्चे ।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त, सड़क पर निवासरत बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे ।
- जेल में निरुद्ध माता-पिता के बच्चे ।

योजना के तहत राज्य से ग्राम स्तर तक प्रबंधन

क्रमांक	राज्य स्तर	जिला स्तर	ग्राम/ब्लॉक स्तर
1.	राज्य बाल संरक्षण समिति	जिला बाल संरक्षण समिति	ब्लॉक बाल संरक्षण समिति
2.	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण	किशोर न्याय बोर्ड	ग्राम बाल संरक्षण समिति
3.		बाल कल्याण समिति	
4.		विशेष किशोर पुलिस इकाई	

संस्थागत सेवाएं

प्रदेश में अनाथ, बेसहारा एवं देखरेख तथा संरक्षण वाले बालकों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं पुनर्वास हेतु 124 शासकीय/अशासकीय शिशुगृह, बालगृह, आश्रयगृह, खुला आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं पश्चात्पूर्ति गृह पंजीकृत होकर संचालित हैं। इन संस्थाओं में बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को स्थाई एवं अस्थायी संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में संचालित संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

शिशुगृह — 0 से 6 वर्ष के बालकों के संरक्षण देखरेख तथा पारिवारिक पुनर्वास हेतु प्रदेश में 34 शिशु गृह संचालित। निवासरत बच्चों की संख्या 258 है।

बालगृह — 6 से 18 वर्ष की आयु के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण भरण पोषण चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण, की सुविधाओं के अतिरिक्त पारिवारिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने संबंधी कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में 58 बालगृह संचालित हैं। निवासरत बच्चों की संख्या 1715 है।



खुला आश्रय गृह — 18 वर्ष तक की आयु के बेघर, फुटपाथ पर घूमने वाले सड़क पर रहने वाले, बाल भिक्षुको, को आश्रय दिया जाकर शिक्षण प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श के द्वारा जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास, आत्म-सम्मान वर्धन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। प्रदेश में 11 खुला आश्रयगृह संचालित हैं जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 414 है।

पश्चातवर्ती गृह — विशेष गृहों एवं बालगृहों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उन्मुक्त हुये बालक/बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक भरण पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है तथा इन किशोर/किशोरियों का सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास किया जाता है। प्रदेश में 02 पश्चातवर्ती गृह संचालित है जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 28 है।

संप्रेक्षण गृह — विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु से कम आयु के किशोरों को जमानत न होने तथा किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण के विचारण तक संरक्षण, भरण पोषण चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में 18 सम्प्रेक्षण गृह संचालित है, जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 394 है।

विशेष गृह — किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु किशोरों को संरक्षण, भरण

पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है, ताकि उनका समाज में व्यस्थापन संभव हो सके। प्रदेश में 03 विशेषगृह संचालित है जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 57 है।

गैर संस्थागत सेवाएं

बालकों को उनके परिवारो में भरण पोषण शिक्षा एवं चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने एवं स्थाई परिवार उपलब्ध कराने हेतु गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान की जाती है। गैर संस्थागत सेवाएं निम्नानुसार है :-

दत्तक ग्रहण — प्रदेश में वर्तमान में 34 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी संचालित हैं। इन दत्तक ग्रहण अभिकरणों में निवास कर रहे बच्चों को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकारण द्वारा निर्मित केन्द्रीय दत्तक ग्रहण विनियम- 2022 के प्रावधानानुसार दत्तक दिया जाता है। वर्ष 2022-2023 मे 119 बच्चों को दत्तक दिया गया।

पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) — पालन पोषण देखरेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें बालकों को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से, असंबंधित परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाता है। बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखते समय ऐसे परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी, जो बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत या



समुदाय/गोत्र से संबंध रखते हैं। इसमें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत मामलों के मूल्यांकन के आधार पर पालन पोषण देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पालन पोषण देखरेख बच्चों की जरूरतों के आधार पर अल्पकालिक अथवा दीर्घ कालिक हो सकता है। सामूहिक पालन पोषण देखरेख का उद्देश्य बच्चे को व्यक्तिगत देखभाल एवं समुदाय आधारित तथा पारिवारिक वातावरण एवं पालन-पोषण प्रदान करना है।

वर्ष 2020 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पालन पोषण देखरेख हेतु मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा निर्देश, 2020 तैयार किये गए हैं, जिनमें उपरोक्त प्रावधानों में सरलीकरण करते हुए, परिवार में सामूहिक पालन पोषण देखरेख अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत पंजीयन की बाध्यता से मुक्त किया गया है और आपातकालीन पालन पोषण देखरेख को भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में किसी देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को 24 घंटे से कुछ दिनों तक भी पालन पोषण देखरेख हेतु दिया जा सकता है।

पालन पोषण देखरेख के लिये पात्र बच्चों की श्रेणियां

बच्चों की निम्नलिखित श्रेणियों को पालन पोषण देखरेख हेतु योग्य माना जायेगा :-

- 0-6 आयु वर्ग के बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को सामान्यतः दीर्घकालिक पालन पोषण देखरेख के अंतर्गत रखने पर विचार नहीं किया जायेगा। इस आयुवर्ग के बच्चों को दत्तक ग्रहण के तहत स्थाई परिवार उपलब्ध कराने की कोशिश की जायेगी।
- 6-18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे जो कि बाल देखरेख संस्थाओं (Child Care Institutions) में रह रहे हैं। उन्हें देखभाल संस्थान में विकसित व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर पालन पोषण देखरेख में रखा जाएगा।
- बच्चे जिनके माता-पिता अस्वस्थ रहते हैं एवं माता-पिता बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं एवं जिनके माता-पिता द्वारा समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को उनके बच्चे की देखभाल करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है।

- वर्ष 2022-2023 में 277 बच्चों को पालन पोषण देखरेख में दिया गया जिन्हें रुपये 2000/- प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रायोजन कार्यक्रम (स्पॉन्सरशिप) – बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे के परिवार/बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालक को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2020 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पालन पोषण देखरेख हेतु मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) दिशा निर्देश, 2020 तैयार किये गए हैं, जिनमें उपरोक्त प्रावधानों में सरलीकरण करते हुए प्रति बच्चा रुपये 2000/- प्रति माह की सहायता के अलावा, निजी स्पॉन्सरशिप के प्रावधानों को भी जोड़ा गया है। जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्थान द्वारा किसी भी पात्र बच्चे को स्पॉन्सर किया जा सकता है और संस्था की आधारभूत संरचना हेतु भी सहयोग किया जा सकता है। किसी कंपनी अथवा औद्योगिक इकाई द्वारा सी एस आर के अंतर्गत भी सहयोग किया जा सकता है।

विशेष परिस्थिति में बच्चों को 18 वर्ष तक शासकीय प्रयोजन के बाद 21 वर्ष तक निजी प्रयोजन से लाभान्वित किया जा सकता है। वर्ष 2022-2023 में 1763 बच्चों को शासकीय स्पॉन्सरशिप का लाभ दिया गया जिन्हें रुपये 2000/- प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

निजी स्पॉन्सरशिप – कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुये बच्चों एवं ऐसे बच्चों, जिन्होंने अपने माता-पिता से किसी एक को खो दिया है एवं कठिन परिस्थिति में हैं, को संरक्षण प्रदाय करने के उद्देश्य से निजी स्पॉन्सरशिप अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। उद्योगपति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से बच्चों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। प्रदेश में 5647 बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप से जोड़ा गया है एवं प्रति बच्चा राशि रुपये 2000/- मासिक सहायता राशि प्रदाय की जा रही है।

पश्चातवर्ती देखरेख — बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत ऐसे बालक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी देखरेख करने वाले कोई नहीं हैं, उन्हें पश्चातवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत 21 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक पश्चातवर्ती गृह में रखने की व्यवस्था है। पश्चातवर्ती कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में 2 गृह संचालित हैं— 1. भोपाल जिले में बालिकाओं हेतु, 2. जबलपुर में बालकों हेतु

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना

ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, को आर्थिक सहायता खाद्यान्न सुरक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 30/05/2021 को किया गया है। योजनांतर्गत प्रत्येक बाल हितग्राही को रुपये 5000/- प्रतिमाह की सहायता राशि 21 वर्ष की आयु तक अथवा स्नातक में अध्ययनरत होने की स्थिति में 24 वर्ष तक या स्नातक पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, प्रदाय की जायेगी। योजना अंतर्गत समस्त बच्चों को निः शुल्क शिक्षा अथवा निर्धारित सीमा तक शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। योजनांतर्गत 1410 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। सभी बच्चों / संरक्षकों को खाद्यान्न पर्ची जारी की गई है।

पी एम केयर्स स्कीम

माता-पिता/दत्तक माता-पिता/वैद्य अभिभावक/एकल माता या पिता (जिनमें से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है) की मृत्यु 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को सहायता हेतु योजना प्रारंभ की गयी। फरवरी 2022 में समय सीमा 28 फरवरी 2022 की गई। योजनांतर्गत बच्चे को शैक्षणिक सहायता के अतिरिक्त बच्चे के 23 वर्ष का होने पर बच्चे को राशि रुपये 10 लाख प्रदान की जाएगी। बच्चे को 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत रुपये 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजनांतर्गत 428 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

बाल मित्र ग्राम

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से जिला — विदिशा, इन्दौर, होशंगाबाद, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम, निवाडी, शहडोल, सतना, जबलपुर एवं कटनी में बाल मित्र ग्राम स्थापित किये जा रहे हैं। बाल मित्र ग्राम के मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण और दुर्व्यवहार पर सम्पूर्ण रोक और सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत बाल पंचायत का गठन किया जाएगा, जो स्वयं के संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर सक्रिय काम करेगी। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत, शौर्या दल, ग्राम बाल संरक्षण समिति और स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

3 साल से गुम बच्चे को सीडब्ल्यूसी ने परिवार से मिलाया

उम्मीद खो चुके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं

मध्य प्रदेश, खण्डवा

आने वाले 3 साल पहले गुमराह मान चुके पिता सत्यार्थी काशी एवं मां गुड्डा शर्मा को एक दिन अचानक यह पता चला कि उसका बेटा सतना में सही सलामत है और सुरक्षित रूप से है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज बाल कल्याण समिति ने अपने कार्यक्रम से इस बच्चे को घर वापसी कराई। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष रश्मि मिश्रा, सदस्य चंद्रकिरण श्रीवास्तव, जयन्ती त्रिपाठी, रेखा सिंह, उमा श्रीवास्तव, महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ संजय सिंह, जीआरपी चौकी प्रभारी जीपे त्रिपाठी, बाल संरक्षण अधिकारी अमर सिंह की मौजूदगी में बच्चे को उनके परिजन के सुपुर्द किया गया।



फूल-माला और तिलक से विदाई

दस्तावेजों की औपचारिक कार्यवाही होने के बाद बच्चे को फूल-मालाओं से लाद दिया गया। सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने बच्चे को तिलक लगाया। डीपीओ एवं अन्य अधिकारियों ने भी बच्चे को माला पहनाकर तिलक लगाया। बच्चे को पाकर परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, बच्चा भी वेदद खुश रहा। इन 3 सालों में बच्चा सीडब्ल्यूसी और चिल्ड्रन फाउंडेशन के कर्मचारियों से करीब घुलमिल रहा था। अधिकारी-कर्मचारियों को इस बात की खुशी थी कि बच्चा सकुशल अपने घर जा रहा है।

टून में बैठकर पढ़ाई का बहा

सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष श्रीमती मिश्रा ने बताया कि 2 नवम्बर 2019 को यह बच्चा टून पर बैठकर सतना पहुंचा जिससे जीआरपी ने अपनी सूझ में ले लिया। जीआरपी के जरिए बच्चा चिल्ड्रन फाउंडेशन पहुंचा और चिल्ड्रन फाउंडेशन से यह मामला सीडब्ल्यूसी के समक्ष पहुंचा। श्रीमती मिश्रा के मुताबिक मंदबुद्धि होने की वजह से बच्चा कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं था। इसलिए दिवस में यह बात आई कि क्यों न बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जाए। अगर बच्चे का पूर्व से आधारकार्ड होता तो यह जानकारी में आ जाया। यही हुआ, बच्चे के जैसे ही फिंगरप्रिंट लिखा, एप उसकी पूरी जानकारी सामने आ गई। बच्चा उमरिया जिला के पथरघटा गांव का निवासी। उसके परिजन को बुझकर बच्चे को उनके इलाके कर दिया गया। अब बच्चे की उम्र 16 वर्ष है।

कार्यक्रम में वे रहे मौजूद

घर वापसी कार्यक्रम में चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से समर्थन से रतलाम स्थित सीडब्ल्यूसी के डायरेक्टर फादर अजी जॉन, फाउंडेशन मैनेजर जसमन, विशेष पुलिस इकाई धर्मेन्द्र त्रिपाठी, चिल्ड्रन फाउंडेशन काउंसिलर आशा निरंजन एवं टीम मेम्बर जयिन्द्र, सीमा, जयप्रकाश, अनिता एवं राजकुमार मौजूद रहे।



प्रशिक्षण वर्ष 2022—2023

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता संवर्धन हेतु समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अगस्त 16, 2019 से प्रभावी) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 ऐसे विषय हैं, जिनके ज्ञान हेतु सतत् प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। मिशन वात्सल्य अंतर्गत एस. जे. पी. यू. के सदस्य, परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी, सीसीआई के अधीक्षक, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्यों आदि को निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2022—23 में 1505 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 1200 प्रतिभागियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया है।

चाइल्ड लाईन सेवा — 1098

1098 फोन नम्बर देश के किसी भी कोने से डायल किया जा सकता है। यह 24 घंटे निःशुल्क इमरजेन्सी फोन सेवा है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

के तहत देखरेख और संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु जो वर्तमान में यह सेवा प्रदेश के 48 जिलों में स्थापित एवं संचालित है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, अधिकारी अथवा स्वयं बालक को यह लगता है कि वह कठिन परिस्थिति में है, तो वह 1098 पर फोन कर सकता है।

पॉक्सो अधिनियम प्रचार—प्रसार

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अगस्त 16, 2019 से प्रभावी) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के तहत अधिनियम के उपबंधों के प्रति लोक जागरूकता हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में रेडियो जिंगल, होर्डिंग, पम्पलेट, दीवार पेंट आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार—प्रसार किया गया है तथा राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।

वर्ष 2022—2023 हेतु योजनातर्गत व्यय की जानकारी

वर्ष 2022—2023 में योजनातर्गत राशि रुपये 75.68 करोड़ का कुल बजट प्रावधानित था, जिसमें से राशि रुपये 28.54 करोड़ का व्यय (दिनांक 15 फरवरी 2023 तक) हुआ है।



जवाहर बाल भवन

जवाहर बाल भवन एक परिचय

जवाहर बाल भवन की स्थापना मध्यप्रदेश शासन द्वारा 03 जुलाई 1987 को की गई। जवाहर बाल भवन में संचालित गतिविधियों का उद्देश्य 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी आयु, अभिवृत्तियों तथा क्षमताओं के अनुरूप उन्हें परस्पर मेलजोल बढ़ाने, प्रयोग करने, सृजन तथा प्रस्तुतिकरण के लिये विभिन्न गतिविधियाँ – संगीत, नृत्य, चित्रकला, नाटक, सिलाई-कढ़ाई, गृह-विज्ञान, मूर्तिकला, हस्तकला, विज्ञान, कम्प्यूटर, एयरोमाडलिंग, खेलकूद, आधुनिक संगीत, आधुनिक कला, आधुनिक अभिनय कला आदि गतिविधियाँ एवं बाल पुस्तकालय संचालित हैं। नियमित गतिविधियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ विषय विशेषज्ञों की कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

जवाहर बाल भवन की गतिविधियों से भोपाल के बच्चों के अतिरिक्त अन्य जिलों के बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बाल भवन योजना का विस्तार किया जाकर वर्ष 2007 में प्रदेश के 06 संभागीय मुख्यालयों – इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा में एक-एक बाल भवन की स्थापना की गई, जोकि राष्ट्रीय बाल भवन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत

सरकार), नई दिल्ली से सम्बद्ध है।

वर्ष 2022-2023 में जवाहर बाल भवन में दिनांक 01.02.2023 तक 1035 एवं संभागीय बाल भवनों में 1805 बच्चों ने संचालित गतिविधि में भाग लेने हेतु अपना न पंजीयन कराया गया।

“ ऑफ लाइन प्रशिक्षण का आयोजन ”

जवाहर बाल भवन एवं संभागीय बाल भवनों द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष 2022-2023 में बच्चों को रचनात्मक और कलात्मक गतिविधियों से जोड़कर रखने के लिये नवाचार अंतर्गत अपने स्थानीय बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों से जोड़े रखने के लिये जवाहर बाल भवन में संचालित गतिविधियों क्रमशः चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला, नृत्य, नाटक, संगीत, आधुनिक संगीत, आधुनिक अभिनय कला, विज्ञान, कम्प्यूटर, गृहविज्ञान, सृजनात्मक लेखन एवं खेलकूद का प्रशिक्षण बाल भवनों के अनुदेशकों द्वारा अपनी-अपनी विधाओं के पंजीकृत बच्चों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ऑफ लाइन प्रशिक्षण में जवाहर बाल भवन में लगभग 1035 एवं संभागीय बाल भवनों में 1805 बच्चे भाग ले रहे हैं।



मध्यप्रदेश गान एवं लाड़ली लक्ष्मी गान एवं नृत्य नाटिका की प्रस्तुति

दिनांक 08 मई, 2022 को लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के शुभारंभ अवसर पर लाल परेड ग्राउंड भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जवाहर बाल भवन की बालिकाओं द्वारा बेटियों पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई

दिनांक 2 नवम्बर 2022 के लाड़ली लक्ष्मी 2.0 के छात्रवृत्ति वितरण समारोह में जवाहर बाल भवन की बालियाओं द्वारा मध्यप्रदेश गान एवं लाड़ली लक्ष्मी गान की आकर्षक प्रस्तुति माह दी गई।

दिनांक 12 नवम्बर, 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल में विभाग के मैदानी अमले का मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के मुख्य अतिथ्य में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जवाहर बाल भवन के सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति दी गई।

दिनांक 07.02.2023 को आयोजित लाड़ली लक्ष्मी

योजना की हितग्राही बालिकाओं के छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में जवाहर बाल भवन के बाल सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति दी गई।

ऑनलाइन राज्य बालश्री कला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मान राशि का वितरण

जवाहर बाल भवन द्वारा वर्ष 2020 में दिनांक 06.05.2020 से 20.06.2020 तक प्रदेश स्तर पर आयोजित ऑनलाइन राज्य बालश्री कला प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में जवाहर बाल भवन, भोपाल एवं संभागीय बाल भवन इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, ग्वालियर व रीवा के प्रथम पुरस्कार के लिये 3100/- द्वितीय पुरस्कार 2100/- तृतीय पुरस्कार 1100 व सांत्वना पुरस्कार 500/- सम्मान स्वरूप जवाहर बाल भवन, भोपाल द्वारा कुल राशि रुपये 22,400/- चयनित प्रतिभागियों के खातों में ऑनलाइन जमा कराने की कार्यवाही की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के तहत बाल भवन आयोजना-5060 अंतर्गत राशि रुपये 60,16,000/- का प्रावधान किया गया है।



मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2007 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित (क्रमांक 604) क.एफ.10-29-06-पचास-2. — बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 36 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 है।
- (2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आयोग के कृत्य

आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात:-

- (क) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का परीक्षण तथा पुनर्विलोकन करना तथा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना।

- (ख) प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट देना।

- (ग) बाल अधिकारों के अतिक्रमण का अन्वेषण करना और ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा करना।

- (घ) आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एच.आई.वी./एड्स, दुर्व्यापार, प्रताड़ना तथा शोषण, अश्लील चित्रण, तथा वैश्यावृत्ति द्वारा बालकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले समस्त कारणों का परीक्षण करना और ऐसे मामलों में समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।

- (ङ) विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, जिनमें कठिन परिस्थितियों में बालक, उपेक्षित और प्रतिकूल परिस्थितियों में बालक, अपचारी बालक, किशोर, परिवार रहित/निराश्रित बालक तथा बंदियों के बालक सम्मिलित हैं, से संबंधित मामलों को देखना तथा समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।



- (च) बाल अधिकारों के बारे में संधियों (ट्रीटीज) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विलेखों का अध्ययन करना तथा विद्यमान नीतियों कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों का सामयिक पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना।
- (छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा उसे बढ़ावा देना।
- (ज) समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों की जानकारी को प्रसारित करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमीनार तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से इन अधिकारों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- (झ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी भी किशोर बंदीगृह या बालकों के निवास का कोई अन्य स्थान या ऐसी संस्था जो बालकों के लिए बनी हो, जिसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित कोई ऐसी संस्था सम्मिलित है, जहां बच्चों को अभिरक्षा या इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन के लिए रखा जाता हो, का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना तथा यदि आवश्यक पाया जाए, तो ऐसी उपचारात्मक कार्रवाई के लिये उन प्राधिकारियों तक ले जाना।
- (ञ) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना :-
 - (1) बाल अधिकारों का वंचन या अतिक्रमण
 - (2) बालकों की रक्षा और उनके विकास के लिए उपबंधित विधियों का अक्रियान्वयन
 - (3) बालकों की कठिनाईयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन, या ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना और
- (ट) किसी ऐसे मामले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना।

आयोग के अतिरिक्त कृत्य

आयोग, नियम 9 के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

- (क) बाल अधिकार पर अभिसमय के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए विद्यमान विधि, नीति और प्रथा का विश्लेषण करना, बालकों को प्रभावित करने वाली नीति या प्रथा के किसी पहलु के संबंध में जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नए विधान पर टिप्पणी करना।
- (ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (ग) वहां औपचारिक अन्वेषण करना जहां चिन्ता या तो स्वयं बालकों द्वारा या उनकी ओर से संबंधित व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त की गई है।
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि आयोग का कार्य बालकों के दृष्टिकोण से सीधे सूचित किया जाता है जिससे उनकी प्राथमिकताओं तथा परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जा सके।
- (ङ) अपने कार्य में तथा बालक से संबंधित समस्त सरकारी विभागों तथा संगठनों के कार्य में बालकों के दृष्टिकोण को प्रोन्नत करना, उनका आदर करना तथा उन पर गंभीर विचार करना।
- (च) बाल अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना तथा उनका प्रचार करना।
- (छ) बालकों के संबंध में आंकड़े संकलित करना तथा उनका विश्लेषण करना; और
- (ज) विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बालकों से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों के समावेशन को प्रोन्नत करना।

परिवादों को निपटाने के लिये प्रक्रिया

- (1) समस्त परिवाद, जो राज्य आयोग द्वारा किसी भी रीति में प्राप्त किये गये हों, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उन्हें एक क्रमांक दिया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए गठित दो सदस्यीय न्यायपीठ (बेंच) के समक्ष

साधारणतया उसकी प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह से अनधिक के लिए स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। साधारणतया निम्नलिखित प्रकृति के परिवाद आयोग के लिये ग्राह्य नहीं है –

- (क) ऐसी घटनाओं के संबंध में, जो परिवाद प्रस्तुत करने के एक वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई है;
 - (ख) ऐसे मामलों के संबंध में जो न्यायाधीन है;
 - (ग) जो स्पष्ट नहीं हैं, बिना किसी नाम से या छद्म नाम से है;
 - (घ) जो तुच्छ प्रकृति के है;
 - (ङ) जो आयोग के अधिकारिता के बाहर है।
- (2) परिवादों के लिए कोई फीस देय नहीं होगी।
 - (3) प्रत्येक परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए जिससे कि आयोग तुरंत कार्यवाही करने हेतु समर्थ होगा तथा ऐसा प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि उस मामले की प्रकृति पूर्णतया स्पष्ट हो जाए जिसके कारण परिवाद किया गया है। तथापि परिवादों को सुविधानुसार फाइल करने के लिए आयोग, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में किए गए परिवाद को स्वीकार कर सकेगा। आयोग को यह स्वतंत्रता होगी कि वह जब कभी आवश्यक समझे अभिकथनों के समर्थन में और जानकारी तथा शपथ पत्र फाइल किए जाने की अपेक्षा करे।
 - (4) आयोग, स्वविवेकानुसार, तार, या ई-मेल से भेजे गए परिवादों और फैंक्स के माध्यम से परिवादों को ग्रहण करेगा।
 - (5) आयोग को किसी परिवाद को आरंभ में ही

खारिज करने की शक्ति होगी।

- (6) किसी परिवाद के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् अध्यक्ष/आयोग यह निर्देश देगा कि क्या मामला आयोग की जाँच के लिए रखा जाए या और अन्वेषण किया जाना चाहिए।
- (7) प्रत्येक परिवाद के संबंध में, जिस पर अध्यक्ष/आयोग द्वारा कोई ऐसा विनिश्चय किया गया है कि क्या उसकी जांच या अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो आयोग संबंधित सरकार/प्राधिकारी से रिपोर्ट/टिप्पणी मंगाएगा और इस प्रयोजन के लिए सरकार/प्राधिकारी को समुचित समय दिया जाएगा।
- (8) संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने पर, उस मामले के गुणागुण के आधार पर एक विस्तृत टीप आयोग के विचारण के लिए तैयार की जाएगी।

आयोग स्वप्रेरणा से कार्रवाई करेगा

आयोग स्व-विवेकानुसार याचिकाकर्ता को या याचिकाकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, और यदि आयोग की यह राय हो कि ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, उसके समक्ष मामले के समुचित निपटारे के लिए सुना जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा और जहां आवश्यक हो उसके संबंध में अभिलेख मंगा सकेगा तथा विषयों का परीक्षण कर सकेगा। आयोग उन व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा जिनका चरित्र उसकी जांच की विषय वस्तु हैं और उसकी राय में उनकी ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और परिवार के समर्थन में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण, यदि कोई हो, करने का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की जानकारी

नाम अध्यक्ष/सदस्य	कार्यकाल (अवधि)
श्री ब्रजेश चौहान सदस्य	26.12.2017 से 03.10.22
श्री द्रविन्द्र मोरे, सदस्य	28.03.2018 से 03.10.22

शासन द्वारा म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग में माह सितंबर 2022 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नवीन पदस्थापना की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

मा. अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम	अधिसूचना क्रमांक/दिनांक	मा. अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण दिनांक
श्री द्रविन्द्र मोरे, अध्यक्ष	एफ 9-1 / 2010 / 50-1 दिनांक 27 सितंबर 2022	04.10.2022 से निरंतर
श्री औंकार सिंह, सदस्य	एफ 9-1 / 2010 / 50-1 दिनांक 27 सितंबर 2022	04.10.2022 से निरंतर
श्री अनुराग पाण्डेय, सदस्य	एफ 9-1 / 2010 / 50-1 दिनांक 27 सितंबर 2022	04.10.2022 से निरंतर
डॉ. निवेदिता शर्मा, सदस्य	एफ 9-1 / 2010 / 50-1 दिनांक 27 सितंबर 2022	04.10.2022 से निरंतर
डॉ. निशा श्रीवास्तव, सदस्य	एफ 9-1 / 2010 / 50-1 दिनांक 27 सितंबर 2022	04.10.2022 से निरंतर
श्रीमती मेघा पवार, सदस्य	एफ 9-1 / 2010 / 50-1 दिनांक 27 सितंबर 2022	04.10.2022 से निरंतर
श्रीमती सोनम निनामा, सदस्य	एफ 9-1 / 2010 / 50-1 दिनांक 27 सितंबर 2022	04.10.2022 से निरंतर

म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग
वर्ष 2022-2023 में आयोग को प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र.	एक्ट	गत वर्षों के प्रचलित प्रकरण	1.4.2022 से 31.1.2023 तक प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण	31.1.2023 पर प्रचलित प्रकरण
1	जे.जे.	30	191	221	35	186
2	पॉक्सो	09	98	107	20	87
3	आर.टी.ई.	14	50	64	11	53
4	अन्य	17	80	97	21	76
	कुल योग	70	419	489	87	402



आयोग का पता
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग
59 नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
Telephone No. 0755-2559900/03/04
Fax No. 0755-2559905
Website – <http://cpcr.mp.gov.in>
E-mail: mpcpcr@gmail.com

मूल्यांकन एवं निगरानी

मूल्यांकन एवं निगरानी

विभागीय योजनाओं एवं आंगनवाड़ी सेवाओं, समेकित बाल संरक्षण योजना, वन स्टॉप सेन्टर आदि योजनाओं एवं गतिविधियों के कियान्वयन, पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वेब-बेस्ड एम.आई.एस. पोर्टल mpwcdmis.gov.in बनाया गया है। उक्त पोर्टल के समानांतर, लाडली लक्ष्मी योजना एवं प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की व्यवस्था तथा निगरानी के लिये ladlilaxmi.mp.gov.in और pmmvy-cas.nic.in पोर्टल संचालित हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत पोर्टल cara.nic.in संचालित है।

पोर्टल mpwcdmis.gov.in के माध्यम से

- आंगनवाड़ी स्तर से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की रिपोर्टिंग सीधे सम्पर्क

एप्लीकेशन के माध्यम से वेब एम.आई.एस. में की जाती हैं।

- विभिन्न संकेतकों के आधार पर निगरानी एवं मूल्यांकन।
- ए.एम.पी.आर. डैशबोर्ड द्वारा विभिन्न संकेतकों के आधार पर तुलनात्मक जानकारी एवं विश्लेषण स्वतः निर्मित होती है।
- प्रदेश की गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा दी जा रही सेवाओं की नियमितता सुनिश्चित करने एवं उनकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा



मोबाईल ऐप पोषण ट्रेकर एवं सम्पर्क का उपयोग किया जा रहा है।

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन की डिमांड मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्ज हितग्राही आंकड़ों के आधार पर निर्मित होती है।
- विभाग की विभिन्न योजनाओं, आंगनवाड़ी भ्रमण, निर्माण से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट्स विभिन्न स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है।
- सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के प्रतिमाह मानदेय भुगतान की प्रक्रिया एम.आई.एस. के माध्यम से निर्मित उपस्थिति पत्रक के आधार पर की जाती है।
- सभी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु नामांकन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
- ई-डिस्पैच के माध्यम से संचालनालय द्वारा जारी पत्रों को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
- सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी एम.आई.एस. से प्राप्त की जा सकती है।

आंगनवाड़ी प्रबंधन मॉड्यूल

विभागीय संपर्क App पर आंगनवाड़ी प्रबंधन मॉड्यूल अंतर्गत प्रदेश की सिंगल सिटीजन डाटाबेस पॉलिसे अनुसार समग्र को आधार बनाते हुये हितग्राहियों का

पंजीयन किया जा रहा है। पंजीकृत हितग्राहियों के दैनिक उपस्थिति के साथ-साथ उन्हे प्रदाय दैनिक पोषण आहार, शालापूर्व शिक्षा, हितग्राहीवार THR वितरण, बालविकास निगरानी, आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर THR प्राप्ति एवं गृह-भेंट आदि की निगरानी की जाने की व्यवस्था की गयी है।

पोर्टल ladlilaxmi.mp.gov.in के माध्यम से

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही बालिकाओं की जानकारी ऑन लाईन संकलित की जाती है एवं योजना अंतर्गत उन्हें ऑन लाईन निर्मित सर्टिफिकेट प्रदाय किये जाते है।

पोर्टल pmmvy-cas.nic.in के माध्यम से

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्राप्त किये जाकर उनका pmmvy-cas.nic.in में परियोजना अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करते हुये योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

पोर्टल cara.nic.in के माध्यम से

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों व बाल गृहों में निवासरत बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी प्रावधानों तथा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



“सम्पर्क एप्लीकेशन”

महिला एवं बाल विकास द्वारा विभागीय एमआईएस के माध्यम से विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की सतत निगरानी तथा वास्तविक समय पर आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु एन्ड्रॉयड तकनीक आधारित “सम्पर्क एप्लीकेशन” विकसित की गई है। जिसका उपयोग विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एनरॉयड मोबाईल फ़ोन पर सरलता से किया जा रहा है। सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से विभाग द्वारा वार्षिक सर्वे, मासिक प्रतिवेदन, प्रति दिवस की उपस्थिति, क्षेत्र भ्रमण एवं अन्य मुख्य सेवाओं/कार्यक्रम जैसे मुख्यमंत्री बाल आरोग्य सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम (MBASK) अन्तर्गत C-SAM कार्यक्रम के आंकड़ों को विश्वसनीय तरीके से संग्रहित एवं संधारित किया जा रहा है। संपर्क एप्लीकेशन में निम्न प्रमुख माड्यूल विकसित किये गए हैं—

1. आंगनवाड़ी सेवाओं एवं विभाग की अन्य योजनाओं का वार्षिक सर्वे एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पूर्व में विभाग की प्रमुख गतिविधियों पर आंगनवाड़ी स्तर पर प्रति वर्ष माह अप्रैल में वार्षिक सर्वे एवं प्रतिमाह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (Monthly Progress Report-MPR) हार्ड-कॉपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरे जाने के उपरान्त पर्यवेक्षक के माध्यम से समीक्षा उपरान्त परियोजना कार्यालय में वेब आधारित एम.आई.एस. प्रणाली में आंकड़ों को दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जाती रही है। इस प्रक्रिया में विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन विभागीय MIS के वेब-पेज पर संख्यात्मक जानकारी भरी जाती है, जिससे MIS के अद्यतन में प्रायः विलंब एवं एंट्री के दौरान विसंगतियां होने की संभावना बनी रहती थी। विभाग द्वारा उपयोग की जा रही नवीन टेक्नोलॉजी अन्तर्गत सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मैदानी स्तर के आंकड़े दर्ज किये जा रहे हैं।

2. गंभीर कुपोषित बच्चों के आंकड़ों का संधारण

प्रदेश के सभी मध्यम गंभीर कुपोषित (MAM) एवं अति गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों की नामवार जानकारी को C-MAM माड्यूल में दर्ज किया जा रहा है। इसके

अंतर्गत सभी MAM एवं SAM बच्चों को दी जाने सेवाओं, पूरक पोषण आहार, साप्ताहिक एवं पाक्षिक फॉलोअप की जानकारी के साथ-साथ इन बच्चों के माता-पिता की आयु, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, जाति, मासिक आय, वर्तमान गर्भावस्था की स्थिति, माता का हीमोग्लोबिन स्तर, गर्भधारण के दौरान उम्र, घर में पीने के पानी, शौचालय जैसे सुविधाओं की जानकारी भी ली जाकर कुपोषण के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में एप में लगभग 5.03 लाख मध्यम गंभीर कुपोषित एवं 1.19 लाख अति गंभीर कुपोषित बच्चों को दर्ज कर उनकी सतत निगरानी की जा रही है।

3. मैदानी अमले की उपस्थिति को दर्ज करना

सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से विभाग द्वारा 97135 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 3401 पर्यवेक्षक एवं 500 से अधिक विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की उपस्थिति की स्थिति को मॉनिटरिंग का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

4. दैनिक गतिविधियाँ के प्रतिवेदन एवं निगरानी

सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र, सेक्टर, परियोजना एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रतिवेदन को फोटो सहित प्रविष्ट करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

5. GIS आधारित भ्रमण प्रविष्टि

विभाग द्वारा सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर किये जाने वाले क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र सहित विभाग की योजना अन्तर्गत संचालित गृहों एवं संस्थाओं के भ्रमण हेतु चेक लिस्ट को उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार विभाग द्वारा सम्पर्क एप्लीकेशन की नवीन टेक्नोलॉजी के उपयोग से विभागीय कार्य को सुगम एवं ज्यादा युक्तिपरक बनाने में सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संबंध विभाग द्वारा निरन्तर सुधारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं।

1:18

←

टेक होम राशन
आंगनवाड़ी केंद्र - Raidas ward 1

बच्चे की सूची महिलाओं की सूची

हलवा: 3

कनिष्का साहू 1

पिता :Sandeep

1 वर्ष 5 माह ✓ हलवा ! बाल आहार ! खिचड़ी

रिद्धि साहू 2

पिता :Rakesh

2 वर्ष 10 माह ✓ हलवा ! बाल आहार ! खिचड़ी

आदिती सोनी 3

पिता :

2 वर्ष 10 माह ✓ हलवा ! बाल आहार ! खिचड़ी

अदित्य राज सोनी 4

सुरक्षित करे

1:17

← बाल विकास निगरानी

आंगनवाड़ी केंद्र :-Raidas ward 1

कुल बच्चे :-52

हिमांशी अमझरे ✓

Hemraj

वजन तिथि : 20/02/2023

4 वर्ष 10 माह

(सामान्य) (मध्यम)

उचाई अनुसार वजन उग्र अनुसार वजन

अदित्य राज सोनी ✓

वजन तिथि : 20/02/2023

1 वर्ष 7 माह

(सामान्य) (सामान्य)

उचाई अनुसार वजन उग्र अनुसार वजन

भावेश मोरे ✓

Ganesh

वजन तिथि : 20/02/2023

2 वर्ष 8 माह

(सामान्य) (सामान्य)

उचाई अनुसार वजन उग्र अनुसार वजन

हार्दिक अतुलकर ✓

सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार गतिविधियां

सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार गतिविधियां

विभाग द्वारा महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण आदि पर केन्द्रित कई कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, साफ/सफाई, स्वच्छता, शिक्षा एवं उनके साथ होने वाले भेदभाव, हिंसा, अन्याय आदि से बचना है। साथ ही इन सेवाओं की माँग व कार्यक्रम में समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना एवं हितग्राहियों और जनसमुदाय के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना

हैं। विभाग द्वारा इस हेतु सुनियोजित ढंग से सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन रणनीति तैयार कराई है। इस रणनीति के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक स्तर पर किया जा रहा है। इससे सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं, एवं विभिन्न सूचकांकों में सुधार परिलक्षित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में विभागीय योजनाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार व जागरूकता के लिये निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित हुईं :

अमृतपान अभियान

‘स्टेप अप फॉर ब्रेस्टफीडिंग— एजुकेट एंड सपोर्ट’ थीम पर प्रति वर्ष की भांति 1 से 7 अगस्त, 2022 के दौरान विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में अनेकों गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान पुरुषों की सशक्त भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया। सोशल मीडिया आधारित इस कैंपेन में रेडियों से प्रचार-प्रसार, क्विज का आयोजन, मीम, ग्राफिक्स, पुरुषों की सशक्त भागीदारी पर पोस्टर आदि का उपयोग किया गया। नवाचार के रूप में ‘पिता को पत्र’ तैयार कर सभी पिताओं को उपलब्ध कराया गया, इसमें जन्म के तुरंत बाद स्तनपान पर संदेश दिया गया जो कि प्रभावी रहा। इन्हीं तरहों के विषयों पर ऑनलाईन 5 वेबीनार भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 76000 लोगों की सहभागिता रही। वेबीनार में पुरुषों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। वेबीनार से कौशल प्राप्त कर आंगनवाडी कार्यकर्ताओं ने हितग्राहियों को 374023 गृह भेंट कर जानकारी दी और 102919 पुरुषों एवं परिवारजनों को परामर्श दिया।

पिता की जरूरी है भागीदारी
बच्चे के पोषण की है जिम्मेदारी !!!

“हर जन्म लेने वाला बच्चा माँ-पिता एवं परिवार की खुशियों एवं उम्मीदों का पिछा होता है। सब चाहते हैं कि बच्चा को कोई बीमारी न हो और वह खुद तंदरुस्त, बलशाली, बुद्धिमान बने। पर जब माँ लापरवाही उसे कमजोर और कुपोषित बना देती है।”

इसीलिए पिता को ध्यान रखना होगा कि

- माँ का पहला पीला दूध (कोलस्ट्रम/चीस) शिशु के लिए अमूल्य समान है। यह शिशु के लिए पहला टीका है जो उसके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर ही माँ का दूध मिले।
- जन्म से लेकर छः माह (180 दिन) तक शिशु को केवल माँ का दूध ही दें। इसके अलावा घुट्टी, शहद, पानी कुछ भी नहीं दें।

स्तनपान- जीवन की बेहतर शुरुआत...

केवल स्तनपान - यानी 100% माँ का दूध, न पानी, न अर्द्धतल आहार, न कुछ और

- बच्चे को दूध मिलाने के लिए माँ को पर्याप्त समय दें, इसे जल्दी करने को न करें तब तक शिशु को उसकी जरूरत के अनुसार दूध मिलेगा।
- बच्चे को दूध मिलाने वाली बापकी पत्नी स्वयं को और अपने शिशु का स्वस्थ बच्चा होने के लिए एक वा से बार अधिक भोजन करें।
- माँ, अपने भोजन में अतिरिक्त अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करें तब तक शरीर को विभिन्न पोषक तत्व मिलेंगे।
- खाद रखें, जब माँ को दूध पोषण देने है तब माँ शिशु को भी पोषण दे रहे होते हैं।
- शिशु घर में साफ-सफाई, भोजन की पर्याप्तता और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
- पिता, अपने शिशु के विकास पर निगरानी के लिए उसे नियमित रूप से आंगनवाडी केड में लाएं।
- घर के बच्चों में बच्चे को भरोसा करें, उसे सहयोग दें।
- दूध मिलाने वाली माँ को प्रोत्साहित करें, खुश रखें।
- शिशु को नियमित अधिक दूध पीने दिया जाएगा, उनका ही अधिक दूध बचेगा।
- शिशु के अलावा स्वस्थ के लिए उसे सभी टीके, नियमित रूप से सभी समय पर लगवाएं।

माँ-पिता की निगरानी में ही बच्चा तंदरुस्त, बलशाली, बुद्धिमान बन सकता है

Save the Children | Ministry of Health and Family Welfare | UNICEF | GMP, MCD, PWD | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से वार्ता एवं जिंगल स्पॉट का प्रसारण 40 बार कराया गया। नगर निगमों की कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों में भी लगभग 3526 बार गीत आदि बजाये गये। सप्ताह प्रारंभ होने के पहले आंगनवाड़ी केन्द्रों को सजाना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।



ग्राम स्वास्थ्य, एवं पोषण दिवस के अवसर पर बड़े स्तर पर परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रक्षा बंधन एवं फ्रेंडशिप डे पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बेंड बांधने के कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रचार माध्यमों में भी ब्लॉग आलेख आदि प्रचारित हुये। पुरुषों की सशक्त भागीदारी पर वीडियो प्रतियोगिता एवं सभी महाविद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। वीडियो प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित कर वीडियो प्रचारित किये गये। विभागीय अमले/ अधिकारियों के वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर प्रचारित किये गये। जिलों में 759 उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में 41479 लोगों की सहभागिता रही। मुख्य स्थानों पर होर्डिंग प्रदर्शित किये गये।



रबिता का बच्चा पूर्ण स्वस्थ

दतिया के आंगनबाड़ी केन्द्र खिरिया घोंघू में श्रीमती रबिता, पत्नी दीपक अहिरवार जब पहली बार गर्भवती हुई तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती उमादेवी ने उनको VHND एवं गृह भेंट के दौरान स्तनपान संबंधी समझाईश देना शुरू किया। तृतीय तिमाही से ही रबिता, उसके पति एवं घर के अन्य सदस्यों को जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को मां का पहला गाढा दूध देने, 6 माह तक केवल स्तनपान का परामर्श दिया। बच्चा जैसे ही 5 माह का हुआ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने रबिता एवं घर के अन्य सदस्यों को बच्चे के 6 माह के होने पर स्तनपान के साथ घर में बना ताजा खाना खिलाने का संदेश दिया। समय समय पर गृह भेंट के दौरान कार्यकर्ता ने स्तनपान में आने वाली समस्याओं को भी दूर किया। रबिता का बच्चा अब 9 माह का हो गया है और स्वस्थ है, अब तक एक बार भी बीमार नहीं हुआ। रबिता कहती हैं कि यह सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती उमादेवी के परामर्श के कारण सम्भव हुआ है।

पुरुषों की भागीदारी

इंदौर जिले में स्तनपान सप्ताह के कार्यक्रम में पहली बार पुरुषों की भी सहभागिता हुई। कार्यक्रम में पुरुषों को स्तनपान और आई.वाय.सी.एफ के महत्व की जानकारी दी गयी। इसमें पुरुषों ने भी बढ़चढ़ कर जानकारी ली। महिलाओं, पुरुषों को कोलस्ट्रम के बारे में जानकारी दी, पहले दूध की महत्ता को बताया। महिलाओं और पुरुषों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, जानकार पाकर सभी लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने आश्चर्य किया कि इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे।



पोषण माह

माह सितंबर 2022 में भारत सरकार के निर्देशानुसार बड़े स्तर पर पोषण गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस हेतु लोगों आदि तैयार कर सही पोषण पंचायत रोशन तेग लाईन के साथ लोगों आदि तैयार कर ब्रांडिंग की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के पोषण माह के आधारित संदेश का whatsapp, webinars, ब्लॉग आदि के द्वारा सघन प्रचार किया गया।

पूरे प्रदेश में पोषण माह का शुभारंभ समुदाय की सहभागिता के साथ सघन रूप से किया गया। आनवाड़ी केन्द्रों पर दीवार लेखन, रैली, पीले चावल से आमंत्रण किया गया। पूरे माह नवनिर्वाचित सरपंच के संदेश एवं एक मिलेट रेसिपी के वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रचारित कराये गये। विभिन्न स्टेक होल्डर के वीडियो संदेश प्रचारित किये गये। आकाशवाणी और दूरदर्शन से वार्ता, जिंगल आदि का प्रसारण। आकाशवाणी के सभी केन्द्रों (17) से लगभग 140 बार यह प्रसारण हुआ। सजीव फोन-इन कार्यक्रम का प्रसारण।

विगत वर्ष के नवाचार विभागीय अमले से साझा करने के लिए, सामुदायिक रेडियो, जिलों प्राप्त प्रश्नों के आधार पर संभागवार, परम्परागत खिलौने तैयार करने की कला, स्वस्थ बालक स्पर्धा आदि पर कुल 10 वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें 48 हजार से अधिक सहभागिता रही। विगत वर्ष के नवाचारों को सभी अधिकारियों के साथ साझा किया गया। माह के दौरान आयोजित स्वस्थ बालक स्पर्धा का मेस्कट, पोस्टर, विज्ञापन का प्रकाशन कराकर सघन प्रचार किया गया। विजेता बच्चों के लिये आकर्षक प्रमाण पत्र तैयार कराये गये। पर्यवेक्षकों के लिए स्थानीय खाद्य सामग्री से निर्मित रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन। स्थानीय फुड मेपिंग की गई। पोषण पखवाड़ा की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन MMBASSK की लघु फिल्म तैयार की गयी।



सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन रणनीति

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन रणनीति दो वॉल्यूम में तैयार कराई गयी। सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन एवं संचार कौशल पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर खंडवा और बड़वानी के चयनित पर्यवेक्षक और

परियोजना अधिकारियों का 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण एवं चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया।



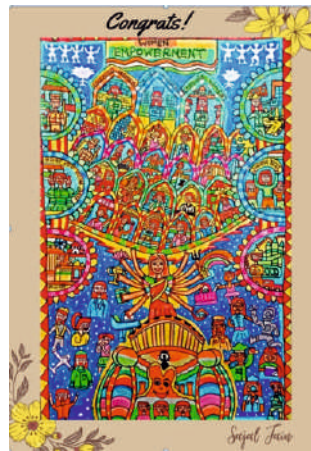
हर घर तिरंगा अभियान

हर घर तिरंगा अभियान का व्यापक प्रचार किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभियान में सक्रिय सहभागिता की।



बालिका सशक्तिकरण

- माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस 28 मई 2022 के अवसर पर Webinar का आयोजन किया गया, जिसमें 17 हजार से अधिक सहभागिता रही। सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया गया। #reddotchallenge का आयोजन किया गया।
- कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का प्रचार-प्रसार किया गया।
- बाल विवाह रोकथाम एवं बालिका सशक्तिकरण पर प्रचार-प्रसार किया गया। 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं भारत सरकार के बेटा बने कुशल कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया गया।
- राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2023 पर पोस्टर एवं कहानी प्रतियोगिता का आयोजन कर प्राप्त पोस्टर एवं कहानी को प्रचारित किया गया। इस अवसर पर राज्यस्तरीय लाडली संवाद का आयोजन किया गया।



Adopt an Anganwadi कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। कार्यक्रम में उद्यमियों, जनप्रतिनिधियों, आमजनों एवं शासकीय अमले की सशक्त भागीदारी रही। पोस्टर, वीडियो एवं लघु फिल्म तैयार कर प्रचारित की गयी। विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया। प्रवासी भारतीय दिवस पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के पेवेलियन में एडॉप्ट एन आंगनवाडी का प्रचार प्रसार किया गया।



महिला सशक्तिकरण

- वन स्टॉप सेंटर योजना के प्रचार-प्रसार के लिये लघु फिल्म तैयार कराई गयी। साथ ही भारत सरकार द्वारा किये जा रहे वन स्टॉप सेन्टर के प्रचार-प्रसार को राज्य में पुनः प्रचारित किया गया।
- UNFPA के सहयोग से सफल गाथाओं का वीडियो तैयार कर प्रचारित किया गया।
- महिला सुरक्षा हेतु संदेशों का प्रचार किया गया। सेफ सिटी योजना का प्रसार-प्रसार एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रचार के लिये लघु फिल्म का निर्माण कराया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का प्रचार किया गया।
- बैंको की सहायता से महिला उद्यमियों को निश्चित समय-सीमा में लोन उपलब्ध कराने हेतु किये गये प्रयासों का सघन प्रचार-प्रसार किया गया। आकाशवाणी एवं निजी एफ.एम. चैनल से लगभग 112 बार प्रति चैनल ऑडियो स्पॉट का प्रसारण कराया गया। सोशल मीडिया से सघन प्रचार-प्रसार किया गया।
- अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर बेविनार सीरीज का आयोजन किया गया। जेंडर समानता, आत्मसुरक्षा के तकनीक, पढ़ाई के बाद करियर आदि विषयों पर आयोजित इस बेविनार में 90,000 से अधिक लोगों की भागीदारी हुई। सोशल मीडिया से सघन प्रचार-प्रसार किया गया। युवा, परिवार के सदस्य शिक्षकों आदि के 10 से भी ज्यादा वीडियो तैयार कर प्रसारित कराये गये।

बाल संरक्षण

माननीय मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राखी मामा के घर, दीपोत्सव कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार एवं सीधा प्रसारण कराया गया। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का बहुरंगीय फोल्डर तैयार कर वितरित किया गया। POC SO एक्ट का प्रचार किया गया।

स्वीप

स्थानीय निकायों के चुनावों के समय स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता के लिये सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

- प्रदेश की लोकप्रिय लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना का लोगो तैयार करने के लिये mpmgov के माध्यम से खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित लाड़ली उत्सवों का सघन प्रचार प्रसार। लाड़ली उत्सवों में योजना की Branding, बैकड्राप, वाल पेंटिंग, होर्डिंग, गेन्ट्री, LED से प्रचार किया गया। बालिकाओं के लिये टी शर्ट, बेज, आदि तैयार कराये। राज्य से लेकर पंचायत स्तर के कार्यक्रमों का सघन प्रचार प्रसार।
- लाड़ली उत्सवों का आकाशवाणी, दूरदर्शन, वेबकास्ट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधा प्रसारण कराया गया। सोशल मीडिया में योजना और उत्सव का प्रचार, खबरों-समाचारों, सफल गाथाओं का प्रचार, जिलों के विशेष प्रयासों का प्रचार कराया।
- समाचार पत्रों में फीचर एवं विज्ञापन का प्रकाशन हुआ। योजना पर आधारित लघु फिल्मों, गीत आदि का निर्माण एवं प्रदर्शन व प्रसारण कराया।
- लाड़ली लक्ष्मी पथ एवं वाटिका हेतु प्रचार-प्रसार द्वारा वातावरण निर्माण।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना की 17 वर्षीय यात्रा पर केन्द्रित पुस्तिका तैयार की गई जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना की 17 वर्षीय यात्रा पर केन्द्रित फोटोग्राफ की प्रदर्शनी लगाई गयी। जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सराहा गया।
- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अंतर्गत हितग्राही बालिका को दिये जाने वाले आश्वासन प्रमाण पत्र की डिजाइन तैयार करने के लिये mpmgov के माध्यम से खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से वार्ता एवं जिंगल का प्रसारण।
- प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इन्दौर में आयोजित कार्यक्रम के पेवेलियन में लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रचार प्रसार।
- मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत लाड़ली लक्ष्मी योजना का विशेष प्रसार-प्रसार किया गया।



मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में 12 नवम्बर 2022 को विभागीय अमले का मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रचार प्रसार किया। सभी संवर्गों से अधिकारी/कर्मचारी सम्मानित कराये गये।



तंजानिया प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश भ्रमण के अवसर पर विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतिकरण।

- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर सभी जिलों में विभागीय योजनाओं पर केन्द्रित आकर्षक झाँकी का निर्माण, प्रदर्शन हुआ। राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में विभाग द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना पर केन्द्रित झाँकी का निर्माण, प्रदर्शन कराया गया।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का प्रचार
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर लघु फिल्म का निर्माण एवं प्रचार।



निर्भया दिवस का आयोजन

विभाग ने मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड पुलिस एवं संगिनी संस्था के साथ निर्भया दिवस 16 दिसम्बर को सुरक्षा, संकल्प और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें 1500 से अधिक शासकीय विभागों के जमीनी अमले के अलावा स्कूली बच्चों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि की भागीदारी रही। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा एवं सम्मान में विशिष्ट कार्य करने वाले 60 से अधिक विभिन्न अधिकारियों, संस्था प्रतिनिधियों एवं समुदाय को सम्मानित भी किया गया। रवीन्द्र भवन से बोट क्लब तक सुरक्षा यात्रा की गई।



मिलेट

भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। **'Millets & Organics' - International Trade Fair, Conference and Buyers-Seller Meets, Bengaluru** में विभागीय स्टॉल और सहभागिता की गई। मोटे अनाज के व्यंजन पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया। सोशल मीडिया पर मिलेट की रेसिपी वीडियो का प्रचार-प्रसार किया गया।



सोशल मीडिया से प्रचार

जन सामान्य तक पहुँच होने और कम लागत के कारण सोशल मीडिया लोगों तक अपनी बात, संदेश पहुँचाने के सबसे अच्छा साधन है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी प्रचार-प्रसार, जनजागरुकता के लिये सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म – फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्वीटर आदि का उपयोग किया जाता है। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, इन्फोग्राफिक्स, मोशन पोस्टर, एनीमेशन आदि के द्वारा नियमित रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। साथ ही विभिन्न विषयों पर सहभागिता संवाद, वेबीनार का लाईव प्रसारण किया गया। विभागीय अमले के साथ ही आमजनों ने भी इन प्रसारणों का लाभ लिया। विभागीय व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से भी विभागीय अमले को संदेश भेजे गए।

कारा की नई गाईडलाइन, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला हिंसा रोकथाम, महिला हेल्प लाईन, माहवारी स्वच्छता व उदित योजना, शाला पूर्व शिक्षा, ऑगनवाडी भवनों का सौन्दर्यीकरण, धन तेरस के अवसर पर आयोजित आयुर्वेद दिवस, लाइली लक्ष्मी योजना, बेटा बचाओ- बेटा पढ़ाओ, राष्ट्रीय कृषि मुक्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेक टू स्कूल, पोषण वाटिका, बाल संरक्षण और Covid प्रभावित बच्चों की मदद के लिये संचालित निजी स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवम्बर, Iron Deficiency day – 26 नवम्बर, संविधान दिवस- 26 नवम्बर, 14 नवम्बर बाल दिवस पर बाल अधिकारों, मदर डे, इंटरनेशनल फेमिली डे, इंटरनेशनल चाइल्ड मिसिंग डे, 26 नवम्बर से आयोजित होने वाले 16 दिवस महिला हिंसा के विरुद्ध जागरुकता के प्रचार-प्रसार हेतु इन विषयों पर केन्द्रित इमेज, ग्राफिक्स सोशल मीडिया पर अपलोड किये गये।

Social Media Reach

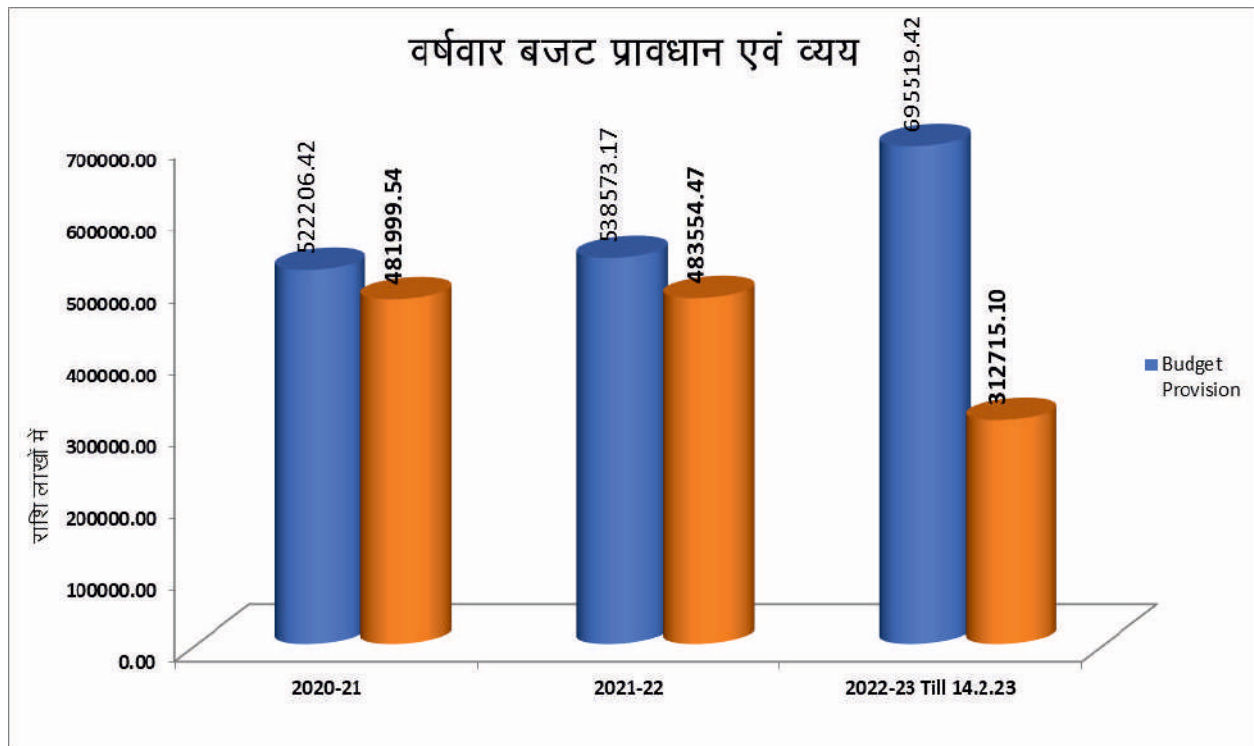
				
Twitter Total followers 233	Facebook Page Likes 14942	Instagram Accounts Followers - 857	Youtube Subscribers 21991	Zoom Meetings
01 April 2021 to 21 Feb 202201 April 2021 to 21 Feb 2022				
Total tweets - 415 Impressions – 72607 Profile Visits - 34209	Page reach - 7,45,538 Engaged unique users - 49,555 Impressions - 20,30,423	Accounts engaged - reached - 5743	Views - 691386 Watch time - 80851 M Impressions - 32,11,102 Viewership by gender - women (65.7%), men (35.3%) Viewership by age - 25-37 years (33.7%), 35-44 years (25.9%), 45-54 years (16.6%), 18-24 years (15.3%)	Total Meetings Hours – 375 With Full Capacity

बजट : एक समग्र विश्लेषण

बजट—एक समग्र विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2022—2023 में महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के लिये मूल बजट में अनुपूरक, पुर्नविनियोजन एवं समर्पण को समाहित करते हुये कुल राशि रुपये 695519.42 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध 14 फरवरी 2023 कुल राशि रुपये 312715.10 लाख का व्यय किया है।

विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2020—2021, 2021—2022 एवं 2022—2023 में क्रमशः कुल राशि रुपये 522206.42 लाख, 538573.17 लाख एवं रुपये 695519.42 लाख का बजट अनुपूरक, पुर्नविनियोजन एवं समर्पण सहित प्रावधानित हुआ है। जिसके विरुद्ध क्रमशः रुपये 481999.54 लाख, रुपये 483554.47 लाख एवं रुपये 312715.10 लाख (14 फरवरी 2023 तक) व्यय किये गये जो निम्न चार्ट से स्पष्ट है :—



वित्तीय वर्ष 2020—2021 से 2022—2023 (14 फरवरी 2023 तक की स्थिति में) तक योजनावार प्रावधानित एवं व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है।

वित्तीय प्रावधान एवं व्यय की योजनावार जानकारी							
राशि लाखों में							
योजना कोड	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23 दि.14.2.23 तक की स्थिति में	
		कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक / पुर्नविनियोजन / समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक / पुर्नविनियोजन / समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक / पुर्नविनियोजन / समर्पण सहित)	कुल व्यय
658	आंगनवाडी सेवा योजना	117993.02	106844.89	118210.02	102390.36	219540.37	136440.93
830	किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का गठन	30.10	1.83	27.60	8.73	18.13	5.63
851	राष्ट्रीय झूलाघर योजना	100.00	72.49	598.50	195.73	100.00	0.00
1071	महिला हेल्पलाईन 181	49.97	0.00	0.07	0.00	80.00	0.00
1204	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	504.00
1289	म.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान	50.00	24.70	692.49	680.00	194.00	73.42
1291	आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर के सुधार की परियोजना ISSNIP / NNM	6156.39	4759.57	16745.92	16600.03	18554.69	10126.60
1326	स्वधार गृह	250.00	121.62	250.00	141.16	250.00	0.00
1327	वन स्टाप सेंटर सखी	0.01	0.00	0.01	0.00	1661.24	0.00
1405	उदित परियोजना	230.40	178.44	199.66	124.65	199.66	73.84
2367	महिला शक्ति केन्द्र	21.81	0.00	1430.02	0.00	1202.00	0.00
2375	सेफ सिटी कार्यक्रम	174.50	59.53	174.51	119.63	174.50	0.00
3457	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएं)	90.93	42.64	90.93	35.89	90.00	61.26
5033	वैश्या उन्मूलन योजना (जाबाली योजना)	50.01	16.71	150.01	51.82	150.01	21.05
5060	बाल भवन की स्थापना	409.20	324.71	435.66	330.40	444.95	299.37
5067	लाडली लक्ष्मी योजना	152579.52	136362.17	112153.22	106801.84	92554.23	9549.14
5360	आंगनवाडी केन्द्रों का भवन निर्माण	3776.02	3053.49	9000.00	8993.02	11134.00	7148.22
5508	महिला बाल विकास के भवनों का रखरखाव	1.70	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
5608	महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	500.00	100.00	324.00	318.65	323.98	6.73
5643	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	87041.28	86689.23	89341.25	84764.44	87041.26	59103.54
5669	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5827	बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन	258.14	201.57	271.21	176.99	293.57	188.40
6103	समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	6754.28	5495.59	7516.22	6830.45	11594.63	2926.98
6392	किशोरी बालिका योजना	768.40	669.65	4499.98	0.00	0.19	0.00
6442	अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन	7.40	7.30	0.03	0.00	1552.02	2.71
6917	प्रधानमंत्री मातृवृंदना योजना(पी.एम.एम्.व्ही.वाई.)	16760.84	14319.11	19627.33	12729.99	36860.60	9297.64
7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
7449	सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण	0.01	0.00	1352.02	0.00	1352.02	0.00

वित्तीय प्रावधान एवं व्यय की योजनावार जानकारी							
योजना कोड	योजना का नाम	राशि लाखों में					
		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23 दि.14.2.23 तक की स्थिति में	
		कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन / समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन / समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन / समर्पण सहित)	कुल व्यय
7700	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
7854	पोषण अभियान 2.0	0.00	0.00	0.03	0.00	0.20	0.00
8052	किशोर कल्याण निधि योजना	10.00	0.00	100.00	0.00	460.00	0.00
8681	राज्य महिला आयोग का गठन	300.53	234.22	316.03	218.11	337.28	187.66
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	4.46	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
8857	मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना	0.00	0.00	648.40	566.90	818.40	668.30
9041	संचालनालय महिला एवं बाल विकास	12141.45	11736.40	13515.72	11761.21	14868.59	11738.17
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	115695.94	110677.54	140902.22	129714.47	127224.84	60807.70
9499	आंगनवाडी भवनों में विद्युत व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
9545	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	0.00	0.00	0.00	0.00	8401.14	3475.34
9586	लाडली लक्ष्मी योजना निधि (ब्याज भुगतान)	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00
9601	घरेलू हिंसा से पीड़िता के लिये सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	541.25	8.47
9614	महिलाओं के लिये रोजगारमूलक आर्थिक सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
9632	मिशन शक्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
9646	मिशन वातसत्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
9647	सक्षम आंगनवाडी पोषण -2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00
	महायोग महिला एवं बाल विकास	522206.42	481999.54	538573.17	483554.47	695519.42	312715.10



जेंडर बजटिंग

जेंडर दृष्टिकोण से बजट विश्लेषण एवं बजटीय प्रावधान, महिलाओं के समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं/नीतियों में जेंडर का समावेश हो, इन्हीं उद्देश्यों से जेंडर रेस्पॉसिव बजटिंग पर विभाग कार्य कर रहा है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई और महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य के विभागों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा जेंडर बजट को उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के हर चरण तक महिलाओं के हित की दृष्टि से देखा जाए। इस पहल में यू.एन. वीमेन के सहयोग से जेंडर बजटिंग पर कार्य किया जा रहा है। 33 विभागों में जेंडर बजट सेल स्थापित हैं।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप अंतर्गत गठित समूह में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की गई अनुशंसाओं में विभिन्न विभागों में जेंडर बजटिंग को सम्मिलित करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय कार्ययोजना तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश के लिए जेंडर रेस्पॉसिव बजटिंग पर 24

विभागों के (Training Need Assessment) के आधार पर क्षमता सम्वर्धन रणनीति (Capacity building statement) तैयार किया गया है। जेंडर रेस्पॉसिव बजटिंग पर क्षमता सम्वर्धन रणनीति महिला बाल विकास एवं यूएनवुमन द्वारा जेंडर रेस्पॉसिव बजटिंग बजट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

महिला बाल विकास विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्य एवं जोनल प्रशिक्षण प्राप्त किये गए। आर.सी.वी.पी नोरोन्हा अकादमी द्वारा अधिकारियों को जीआरबी का बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए नियमित सरकारी पाठ्यक्रम में दो घंटे का मॉड्यूल शामिल किया गया। वर्ष 2022-2023 में विभिन्न विभागों के दो दिवसीय प्रशिक्षण के दो बैच आयोजित किये गए।

जेंडर बजट के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा यू.एन. वीमेन के सहयोग से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग (GRB Analysis of Agriculture Sector of Madhya Pradesh and GRB Analysis of Rural Development Sector in Madhyapradesh) की योजनाओं पर शोध किया गया है। विभिन्न विभागों के जेंडर बजट स्टेटमेंट को और अधिक ग्राह्य एवं परिणाम मूलक बनाने हेतु विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ भी चर्चा की गई।



चाईल्ड बजटिंग— 2022—23

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 में प्रथम बार चाईल्ड बजटिंग की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में 7 राज्यों द्वारा चाईल्ड बजटिंग अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधन विकसित करने लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बजट 2022—23 अंतर्गत बाल बजट को सम्मिलित कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। जिसका विशिष्ट उद्देश्य उन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधानों को प्राथमिकता के साथ प्राप्त करना है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। मध्यप्रदेश Outcome & Oriented चाईल्ड बजटिंग विकसित करने वाला देश का प्रथम राज्य होगा।

मध्यप्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हैं जो कि राज्य के युवा आबादी का सूचकांक हैं। प्रदेश बच्चों के अधिकार, विकास और संरक्षण में हमेशा से जागरूक एवं प्रयत्नशील रहा है। चाईल्ड बजटिंग इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मध्यप्रदेश Outcome & Oriented अर्थात् “परिणामोन्मुखी” चाईल्ड बजटिंग विकसित कर रहा

है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के सूचकांक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, अधिकार, वांछित परिणामों पर केंद्रित कर बजट प्रावधान किया जाए। इस हेतु विभाग द्वारा 18 विभागों को चिन्हित किया गया है जिसमें मुख्यतः महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ—साथ लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़, जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, आयुष विभाग, संस्कृति विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रम विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग आदि सम्मिलित किए गए हैं।

चाईल्ड बजटिंग अंतर्गत दिनांक 27—28 सितम्बर 2022 को Outcome- Oriented Child Budgeting in Madhya Pradesh विषय पर यूनिसेफ के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया।



नोट

[illegible]



Ladli e Samvad



संचालनालय महिला एवं बाल विकास
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28-A, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)